

सत्र-03

07 अगस्त, 2025

खण्ड- 08

.....

बृहस्पतिवार,

.....

अंक- 16

16 श्रावण, 1947 (शक)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही



आठवीं विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08 सत्र-03 में अंक 13 से 17 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-3 बृहस्पतिवार, 07 अगस्त, 2025 / 16 श्रावण, 1947 (शक) अंक-16

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4
2	माननीय सदस्यों द्वारा उपयुक्त ऑफिस स्पेस न मिलने पर चिंता अभिव्यक्ति	5-13
3	विशेष उल्लेख(नियम-280)	14-37
4	फांसीघर पर चर्चा	38-40
5	समिति के प्रतिवेदन से सहमति	41
6	विधेयक का प्रस्तुतिकरण	42-44
7	सी.ए.जी. रिपोर्ट पर चर्चा	45-94

**दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही**

सत्र-3 बृहस्पतिवार, 07 अगस्त, 2025 / 16 श्रावण, 1947(शक) अंक-16

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	क्र.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अहिर दीपक चौधरी	36.	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत
2.	श्री आले मोहम्मद इकबाल	37.	श्री प्रवेश साहिब सिंह
3.	श्री अभय कुमार वर्मा	38.	श्री पवन शर्मा
4.	डॉ. अजय दत्त	39.	श्रीमती पूनम शर्मा
5.	श्री अजय कुमार महावर	40.	श्री प्रवेश रत्न
6.	श्री अमानतुल्लाह खान	41.	श्री प्रेम चौहान
7.	श्री अनिल झा	42.	श्री पुनरदीप सिंह साहनी
8.	श्री अनिल कुमार शर्मा	43.	श्री राज करन खत्री
9.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	44.	श्री राज कुमार भाटिया
10.	श्री आशीष सूद	45.	श्री राज कुमार चौहान
11.	श्री अशोक गोयल	46.	श्री राम सिंह नेताजी
12.	सुश्री आतिशी	47.	श्री रवि कान्त
13.	श्री चन्दन कुमार चौधरी	48.	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह
14.	चौधरी जुबैर अहमद	49.	श्री रविन्दर सिंह नेगी
15.	डॉ. अनिल गोयल	50.	श्रीमती रेखा गुप्ता
16.	श्री गजेन्द्र दराल	51.	श्री सही राम
17.	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	52.	श्री संदीप सहरावत
18.	श्री हरीश खुराना	53.	श्री संजय गोयल
19.	श्री इमरान हुसैन	54.	श्री संजीव झा
20.	श्री जरनैल सिंह	55.	श्री सतीश उपाध्याय
21.	श्री जितेन्द्र महाजन	56.	श्रीमती शिखा रॉय
22.	श्री कैलाश गहलोत	57.	श्री श्याम शर्मा
23.	श्री कैलाश गंगवाल	58.	श्री सोम दत्त
24.	श्री करनैल सिंह	59.	श्री सुरेन्द्र कुमार
25.	श्री करतार सिंह तंवर	60.	श्री सूर्य प्रकाश खत्री
26.	श्री कुलदीप कुमार	61.	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
27.	श्री कुलदीप सोलंकी	62.	श्री तिलक राम गुप्ता
28.	श्री कुलवन्त राणा	63.	श्री उमंग बजाज
29.	श्री मनजिंदर सिंह सिरसा	64.	श्री वीर सिंह धिगान
30.	श्री मनोज कुमार शौकीन	65.	श्री विजेन्द्र गुप्ता
31.	श्री मोहन सिंह बिष्ट	66.	श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान
32.	श्री मुकेश कुमार अहलावत		
33.	श्रीमती नीलम पहलवान		
34.	श्री नीरज बैसोया		
35.	श्री पंकज कुमार सिंह		

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

आठवीं विधान सभा, सत्र-3 बृहस्पतिवार, 07 अगस्त, 2025 / 16 श्रावण 1947 (शक्)

सदन अपराह्न 02.02 बजे समवेत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए ।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, आपने एक लेटर हमको भेजा कि ये आपको विधान सभा में रूम दे दिया गया है दिल्ली जलबोर्ड की तरफ से। आज उस लेटर को भी अध्यक्ष जी आपका लेटर था जो आपने आगे फॉरवर्ड किया। कर्मचारियों के उपर एक्शन होना चाहिए उसपे। अभी तक जो हमको अलॉटमेंट आपने दिल्ली जलबोर्ड का किया है वहां पर बिजली नहीं है और 4 महीने हो गए हैं इस बात को अध्यक्ष जी इसपे आपने एक्शन लेना है क्योंकि ये सभी सदस्यों की बात है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? कहीं बिजली कटी हुई है कहीं पर वो खंडहर बना हुआ है, कहीं पर वहां बैठने जगह नहीं है। तो हमको कमरा दिया क्यों आप लोगों ने? आपने इतना बड़ा काम किया सब एमएलए के लिए लेकिन आपके लेटर को तबज्जो नहीं दी जा रही नीचे। आपके लेटर को जो है माना नहीं जा रहा। उन कर्मचारियों पे शख्त एक्शन आपको लेना चाहिए। आज 4 महीने हो गए हैं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: लेटर की कॉपी भी कहोगे हम दे देंगे। दूसरी बात जो हमारे को चेयरमेन बनाया है वो चेयरमेन का क्या है अभी तक कमरे आपने अलॉटमेंट नहीं किये हमारे। कर्मचारियों के पास इतने कमरे हैं। हमारे को चेयरमेन को जो आपने लेटर दिया है, आपने कमेटी बनाई है हम मीटिंग कहां करेंगे, बाहर बैठके करेंगे पार्क में? अभी तक कमरे नहीं दिये

गए। खाली करवाओ कर्मचारियों के कमरे। वो छः छः कमरों में बैठे हुए हैं एयरकंडिशन में। आपके लेटर की वो होनी चाहिए। आज उस बात को भी एक महीना हो गया है। एक महीना हो गया है, आपने कमेटी बनाई तो इसपे भी आपको गहनता से विचार करना चाहिए, नहीं तो हम आपके कमरे के वहां पर मीटिंग करेंगे बाहर बैठके। वहां कुर्सियां मंगवा लेंगे, कहेंगे जी कमरा नहीं है मीटिंग कर रहे हैं हम। अध्यक्ष जी इस पर बड़ा आपको गौर करना चाहिए। क्योंकि ये आपके लेटर की बात है। इसपे कार्यवाही करनी चाहिए जो भी अफसर इन्चॉल्वड है।

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट हो गया आपका, हाँ जी ये आपने करनैल सिंह जी इस विषय पे मुझे 3 दिन पहले कोई पेपर भी दे रखा है क्या?

श्री करनैल सिंह: धन्यवाद अध्यक्ष जी ये बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है उसमें कुछ मेरे विपक्ष के साथी भी उसमें चेयरपर्सन हैं। सबसे पहले तो जितने भी यहां चेयरपर्सन बने हैं सबकी तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से आपने जनता की आवाज सुनने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे वो शिक्षा की हो और चाहे वो प्रशासन की हो, आपने कमेटियों का निर्माण किया बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। इसके लिए आपका हाथ जोड़के बहुत अभिनंदन करता हूँ, लेकिन हमें अभी तक उन कमेटियों के जो चेयरपर्सन बने हैं उनके पास कोई बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है। कुछ हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी बैठकर के, मेरे पास तो दिव्यांगों की इतनी महत्वपूर्ण कमेटी है। मैं उनको सड़क पे तो खड़ा होकर के मीटिंग नहीं ले सकता। दूसरा मेरा निवेदन है कि आपने तीन चेयरपर्सनों के लिए एक-एक कमरा तय किया है। ये संभव नहीं है कि एक ही कमरे के अंदर तीन चेयरपर्सन बैठके चर्चा कर सकें। ना वो इतनी वहां व्यवस्था है बैठने की, तो मेरा आपसे हाथ जोड़के विनती है कि जल्दी से जल्दी जो चेयरपर्सन बनाये हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था एक चेयरपर्सन के लिए एक कमरे की व्यवस्था की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी हमारे बीच में सत्यनारायण जटिया जी आये हुए हैं तो जरा सम्मान।

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट। आज विजिटर्स गैलरी में 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे केंद्रीय लॉ एण्ड जस्टिस मिनिस्टर रहे ऐसे आदरणीय श्री सत्यनारायण जटिया जी हमारी कार्यवाही देखने के लिए आये हैं और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम सबको सदन की गरिमा को बनाके रखना है। जब वाद-विवाद होता है, वार्तालाव होती है, आरोप-प्रत्यारोप होते हैं तो भाषा को मर्यादित शब्दों का चयन मर्यादापूर्वक होना चाहिए। विषय ये है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। सब चीजें रिकॉर्ड पर जा रही हैं और ये रिकॉर्ड कोई एक दिन का नहीं है, अब तो चूंकि ये सब पेपरलेस हो गया तो ये एक हजार वर्ष बाद भी आपके द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो हमारी छवि इतिहास में ये नहीं जानी चाहिए कि हम भाषा की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम जब अपनी बात कहें तो मर्यादित भाषा में कहें। कड़वी से कड़वी बात कह सकते हैं आप लेकिन मर्यादित होगी तो वो भी चर्चा के समय समझ में आती है लेकिन असंसदीय नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है हम सब इसका पालन करेंगे। हमारे बीच में आप परम आदरणीय श्री ओ० पी० बब्बर जी जो 1967 से पहले नगर निगम के सदस्य फिर विधायक मेट्रो पोलोटिन मेंबर और लगातार सन् 2013 तक आप विधायक रहे हैं। वो भी आज हमारे बीच में हैं हम उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हाँ, अशोक जी क्या कह रहे थे बताइये आप, शोर्ट में बोलियेगा जो भी है।

श्री अशोक गोयल: आदरणीय अध्यक्ष जी मैं जो आदरणीय तरविन्दर मारवाह जी ने और करनैल जी ने माननीय सदस्य जी ने मुद्दा उठाया उसी को आपको आग्रह कर रहा था कि आप बहुत स्पीड से काम करने वाले हैं और आपसे हमें अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है कि आप बहुत जल्द ताकि हम सब लोग जो-जो कमेटियां मिली हैं उसके ऊपर काम कर सकें। और यहां पर फार्मसी कॉन्सिल या ऐसे विभागों ने यहां पर इतने सारे कमरों में वो काम कर रहे हैं जहां पे इन कमेटियों का कमरा होना चाहिए। तो मेरा आपसे आग्रह है सभी विधायकगण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि जो चेयरमेन बने हैं वो अपने काम को गति दे सकें, कर सकें इसके लिए उनको जल्द से जल्द कमरा अलॉट किया जाए जिससे कि काम को कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष: देखिए ऐसा है मुझे मालूम है सब हाथ खड़े होंगे। हाँ जी, लेकिन विषय तो एक ही है।

श्री अनिल कुमार शर्मा: विषय ये ही है अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपने हमें एक कमेटी का चेयरमेन बनाया है। उस कमेटी की काम की वर्किंग जब ही अच्छी हो पायेगी जब हमें यहां पर रूम मिले। उसकी व्यवस्था हो। नहीं तो उसपर जब काम ही नहीं हो पायेगा तो चेयरमेन बनाने का फायदा क्या है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द।

माननीय अध्यक्ष: देखिए ऐसा है। मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ सदन को। मैंने बहुत कोशिश की है, क्योंकि माननीय सदस्य जब माननीय चेयरमेन के रूप में उनको कमेटियों का अध्यक्ष बनाया गया है तो वो कमेटियां ठीक से काम करें। उनको कमरे, उनका अधिकार भी है और उनकी आवश्यकता भी है। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कमेटी को मैं कमरा नहीं दे पाया हूँ और उसका कारण ये है कि मेरे सामने जब प्रस्ताव आता है सेक्रेटरिएट से तो एक-एक कमरे में तीन-तीन टेबल डाली हुई हैं, कैसे तीन टेबल पर तीन चेयरमैन बैठकर अपनी कमेटी की जो प्रोसिडिंग्स है उसको चला सकते हैं मेरी समझ के बाहर है, एक ही कमरे में तीन टेबल डली हुई हैं दो टेबल डली हुई हैं। सेक्रेटरिएट के प्रस्ताव को मैं चाहकर के भी हस्ताक्षर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सदस्यों की गरिमा से मैं कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं एप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 25 चेयरमैन हैं 11 कमरे हैं। अभी यहां हमारी बहनें भी सदस्य हैं और एक कमरा किसी को दिया ही नहीं जा सकता और ये एसेम्बली के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि बाबू लोग तो कमरे घेरकर बैठे हैं यहां पर, यहां दफ्तर चल रहे हैं। यहां एक फार्मसी काउंसिल है जिसका कोई लेना-देना नहीं है किसी चीज़ से। मैंने माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी की है वो जरूर इस पर गौर कर रहे होंगे, आठ कमरे घेरकर बैठे हुये हैं आठ कमरे, पूरा एक कैम्प बनाकर और उसमें क्या काम हो रहा है पता नहीं बैठता कौन है, पता नहीं। शिक्षा विभाग है डे वन से जब से मैं इस सीट पर बैठा हूँ ये एसेम्बली का 22 एकड़ का जो प्रेमिसिस है ये किसके लिये है, ये सदस्यों के लिये है, आप चुनकर आये हैं आपके लिये है या इसी तरह का वातावरण होना चाहिये। यहां बाबूओं की जरूरत नहीं है दफ्तर खुले हुये हैं दो-दो महीने के लिये कमरे लिये छः कमरे ले लिये छोड़ने को तैयार नहीं हैं बेशरमी की हद हो गई है, चिट्ठियां लिख-लिखकर में परेशान हो गया हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब से कई बार बात कर चुका हूँ। शिक्षा मंत्री जी से

भी कह चुका हूँ। मेरे कमरे में हर रोज़ दो-तीन चेयरमैन आते हैं मैं जलील होता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है कहने को, मैं क्या कहूँ उनको। ये स्थिति काबू से बाहर है, ये परिसर ऐतिहासिक परिसर में सिर्फ़ संवाद और डैलिब्रेशन्स और लोकतंत्र की, लेजिस्लेचर की गतिविधि के लिये ये चारदीवारी है मैं यहां से चीफ़ सेक्रेटरी साहब से फिर अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द जहां इनके अपने दफ़्तर बन गये हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं वो खाली पड़ी हैं वहां शिफ्ट होने को तैयार नहीं हैं क्योंकि शायद ये लैजिस्लेचर कमज़ोर है। इस लैजिस्लेचर की पॉवर शायद कुछ कम है और इसलिये स्पीकर की पॉवर भी उसमें इन्क्लूड हो गई। अगर, अगली बार इसमें कोई ज़रूरत पड़ी और स्पीकर ऑफिस से कोई ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया तो अच्छी स्थिति नहीं है वो, जो मेरी पॉवर भी है और मेरा अधिकार भी है, जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा (माननीय मंत्री): मैं सरकार की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ हम बड़ी जल्द इस चीज़ का संज्ञान लेंगे आपकी पीड़ा और आपका दर्द बिल्कुल जायज है। कई सालों से ये लोग सिस्टम में बैठे हुये हैं और ये बड़े दुःख की बात है कि विधानसभा जैसे पवित्र स्थान के ऊपर कोई भी दफ़्तर हो किसी चीज़ का भी विधानसभा कॉम्प्लेक्स के अंदर वो होना ही नहीं चाहिये था। कैसे आये क्यों आये उस पर हम उस पीछे नहीं जाते लेकिन हम जल्दी ही इनका समाधान करके इनका क्या समाधान हो सकता है कि इसके ऊपर सरकार चिंता करेगी और बहुत जल्दी हम इसके ऊपर कार्रवाई करके आपको इसकी जानकारी देंगे, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी ने अब आश्वासन दे दिया है।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी नहीं, जो हमको कमरे मिलने थे अभी तक एमएलओं को कमरे नहीं मिले हैं कईयों को । उसके बारे में वो भी आप एक ज़रा चिट्ठी आप लिखकर भेजो।

माननीय अध्यक्ष: वो उसके लिये, उसके लिये भी चीफ़ व्हीप जी बतायेंगे। वो जो एरिया में जो एमएलएज़ के ऑफिस हैं।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: वो भी कहो इन्स्ट्रक्शन दो।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा (माननीय मंत्री): उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने खुद भी इसकी भी जानकारी ली, बहुत सारे एमएलएज़ साहेबान को ऑफिस नहीं मिल पाये अभी तक तो उसमें जल बोर्ड का भी कुछ ऑफिसिज़ थे कुछ बाकी डिपार्टमेंट से थे। जल बोर्ड की तरफ से ये ऐसा बताया गया कि जो पिछले समय भी दिये गये वो प्रोपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई थी इसके कारण उनको कुछ चैलेंज था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था उसका जो भी रूपरेखा होगी बनाकर जल्दी एज़ इट इज जिनको वो ही ऑफिस चाहिये वो तो रिटेन करने के दिये जायेंगे। पीडब्ल्यूडी के भी जो ऑफिसिज़ हैं हम इसकी भी खुद समीक्षा रोज़ कर रहे हैं लेकिन हम बहुत जल्दी इसके ऊपर आपको कार्रवाई करेंगे और जो-जो ऑफिस जिस-जिस डिपार्टमेंट से मांगे गये हैं उस डिपार्टमेंट के अगले एक हफ्ते के अंदर रिपोर्टिंग हम उसको बतायेंगे किस कारण से नहीं हो पा रहा और कोई टैक्निकल कारण है तो एमएलए से हम डिपार्टमेंट को कहेंगे सीधी बात करें। हम इन्श्योर करेंगे कि जो स्पीकर महोदय की तरफ से आदेश हुआ है उसका पालन हो, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं चाहूंगा एक बार।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी वहां पर किसी जगह बिजली कटी हुई है कोई खंडहर बने हुये हैं ये आपने वो लेना है, कमरे दे दिये हैं।

सुश्री आतिशी(माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय अगर एमएलएज़ को ऑफिस एलॉट करने में इतना डिले हो रहा है इसको टाइम बाउंड मैनर में करके नहीं तो जो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उसको समन किया जाये क्योंकि देखिये ये एक एमएलए का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के बराबर है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एमएलएज़ के सारे ऑफिसरों के पास दफ्तर हैं, सारे विभागों के अध्यक्षों के पास दफ्तर हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास दफ्तर हैं लेकिन जो लोग चीफ सेक्रेटरी से सीनियर हैं उनके पास दफ्तर नहीं हैं। तो इसको टाइम बाउंड मैनर में करना चाहिये और अगर दफ्तर नहीं एलॉट होते वो किसी भी विभाग द्वारा हो तो उन ऑफिसरों को समन करना चाहिये और उन पर कार्रवाई के लिये आदेश देने चाहिये।

माननीय अध्यक्ष: हां जी, एक मिनट।

श्री अभय वर्मा (मुख्य सचेतक): आदरणीय अध्यक्ष जी एमएलएज़ के दफ्तर हों और ऐसा 2020 में हमें पता था और 2025 में जो नये मैम्बर जीतकर आये उनको पता था कि हमें दफ्तर मिल जायेगा लेकिन चीफ व्हीप बनने के बाद आपसे लगातार बातचीत किया गया तो पता चला कि कोई भी एसओपी एमएलए को दफ्तर एलॉट किया जाये, है ही नहीं और पूरा मामला धींगामस्ती में जिसको जहां जगह मिला वो अपना दफ्तर बना लिया। जो बेचारे दबाव नहीं बना पाये, अधिकारियों से सैटल नहीं कर पाये उनके दफ्तर नहीं बन पाये फिर आपने पूरा उस मामले को जब डिटेलिंग में गये तो पता चला कि कोई रेन्ट 10 साल से पे नहीं किया गया फिर जानकारी में आया, हां।

माननीय अध्यक्ष: फिर ये तो मिक्स हो जायेंगी दो बातें, ये आप बता दीजिये जो क्षेत्रों में **constituency** के दफ्तर की बात कर रहे हैं।

श्री अभय वर्मा: उसी दफ्तर की बात चल रही है उसी दफ्तर।

माननीय अध्यक्ष: हां हां।

श्री अभय वर्मा: फिर पता चला कि बिजली बिल कुछ एमएलएज़ ने जमा कराये, कुछ एमएलएज़ को विधानसभा ने एग्जेंट कर दिया कि हम बाद में इसको डिसाइड करेंगे और वो भी 10 साल से पैडिंग पड़ा हुआ था।

....व्यवधान....

श्री अभय वर्मा: तो अब कर रहे हैं ना यही बता रहे हैं संजीव जी यही बता रहे हैं तो आपके नेतृत्व में इस पर पूरा डिटेल एसओपी बना है। हर एमएलए को कितना जगह चाहिये उसके ऑफिस बनाने में कितना खर्च है उसके फर्नीचर में क्या खर्च है बिजली-पानी टेलिफोन और वाईफाई की क्या व्यवस्था रहेगी इसको लेकर के एक एसओपी बना है और वो एसओपी भेज दिया गया है सरकार के पास कैबिनेट एप्रुवल के लिये। जब एक बार ये एप्रुवल हो जायेगा तो पिछले 10 साल का जो पैन्डैन्सी है वो भी समाप्त

होगा और आगे किसी भी विधायक साथियों को दिक्कत नहीं होगा। तो ये मैं हाउस की जानकारी आपके भी जानकारी में है, हाउस को दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: जी, मेरे ख्याल से एक नेताजी बोल लें बस विषय तो आ ही गया।

....व्यवधान....

श्री राम सिंह नेताजी: भाई जी, मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों खड़े हो गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि हम इसको इतने दिन में ठीक कर देंगे परन्तु सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आज ऑफिसरों पर कोई नकेल नहीं है। अध्यक्ष महोदय आपने दो चिट्ठी लिखीं मुझे कि आपको दफ्तर दिया जाये।

माननीय अध्यक्ष: नहीं अभी बात हो गई तो वो आश्वासन दे दिया है उन्होंने।

श्री राम सिंह नेताजी: मैंने भी आपको लिखा मंत्री जी को मैं बता रहा हूं। आपने तो उसके ऊपर लिख परन्तु सरकार के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी एमएलए को नहीं मिले।

माननीय अध्यक्ष: नहीं अभी उन्होंने आश्वासन दिया है, चीफ व्हिप ने भी बताया है।

श्री राम सिंह नेताजी: मैंने अपना दफ्तर अपने आप बना लिया। मुझे दफ्तर नहीं मिला मैंने अपना दफ्तर अपने आप बना लिया जहां मैं बैठता था। परन्तु ये जो सदन है ये सबके लिए कानून एक होना चाहिए, बंदरबांट नहीं होनी चाहिए ये मेरी प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, संजीव जी। अब सब बोलेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। आपके ही हैं सबके 280 लगे हुए हैं, हां जी।

श्री संजीव झा: अध्यक्ष जी दो मिनट लूंगा मैं। हमने अध्यक्ष जी शुरु से ही, पहले दिन से हमने कई सारे विषय लगाए **calling attention** में **short duration** में लेकिन ये पटल तक नहीं आ पा रहा है या आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप खाली यह बता दें कि जो हमने सब्जेक्ट रखा है जैसे **short duration** हमने कई सारे विषय रखे **calling attention** में कई सारे विषय रखे। आप भी जब सदन में विपक्ष में तो हमेशा इस बात को कहते रहते थे और चेयर से यह बात होती रहती थी कि वह विषय एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ यह जरूर बता दिया करें प्लीज।

माननीय अध्यक्ष: वो तो।

श्री अनिल झा: अध्यक्ष जी, निवेदन है मेरा इस पर जब तक की कोई निर्णय नहीं हो जाता है क्या हाउस इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं तब तक प्रोविजनली जो डिमांड किया है विधायक ने अपने दफ्तर के लिए वह तब तक दे दिया जाए और एसओपी आ जाएगा तब वो उसको परमानेंट कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष: वो अधिकारी नहीं मानते न वहां पर दिक्कत तो ये आ रही है। लोकल अधिकारी नहीं मानते। नहीं वो बात हो गई सारी। हो गई बात अब मंत्री जी ने आश्वस्त किया है सदन को तो आप थोड़ा समय तो दो, आप थोड़ा समय तो दो। अच्छा एक मिनट आप कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: अध्यक्ष जी एक छोटा सा।

माननीय अध्यक्ष: हां।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: 280 हम डेली लगा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: 280।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: हां।

माननीय अध्यक्ष: अब तो कंप्यूटर से निकलता है ड्रा human intervention है ही नहीं।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान: अध्यक्ष जी 15 ले लो 5-10 से क्या होगा 15 ले लो थोड़ा देख लो।

माननीय अध्यक्ष: चलो मैं दे दूंगा तुम्हें टाइम, हां जी। कल लगा दो आप, आपको दे देंगे टाइम।

श्री राजकुमार भाटिया: अध्यक्ष जी, मैं एक विशेष मंतव्य के साथ आपके साथ आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। परसों फीस नियंत्रण बिल पर यहां पर जब अपना वक्तव्य रखने का मेरे को अवसर मिला और उसके पश्चात् मेरे वक्तव्य को तोड़कर, उसका अंश काटकर आदरणीय नेता, विपक्ष सुश्री आतिशी जी..

...व्यवधान....

श्री राजकुमार भाटिया: एक मिनट बात पूरी होने दीजिए आप उधर बात कीजिए भाटिया जी क्या करें, करेंगे तो अध्यक्ष जी करेंगे। और मेरे वक्तव्य को तोड़-मरोड़कर मीडिया पर इन्होंने और इस सदन के पूर्व उप-मुख्यमंत्री जी ने ट्वीटर पर, सोशल मीडिया पर डाला जो कि सदन की गरिमा को, प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम था। मेरे मंत्री महोदय के काम को और मेरी स्वयं की जो पर्सनल छवि है, राजनीतिक छवि है, सामाजिक छवि है उसको भी धूमिल करने का प्रयास किया। मैंने कल आपके आफिस में इसकी रिटन

कंप्लेंट भी की है। मैं चाहूंगा कि ये जो प्रिविलेज कमेटी के माध्यम से आप इन्हें इस पर संज्ञान लें और इस प्रकार की घटना क्योंकि जो सदन की कार्यवाही है भले वो पब्लिक होती हो लेकिन उसको तोड़-मरोड़कर पेश करना सदन की गरिमा के खिलाफ है मैं इस विषय में।

माननीय अध्यक्ष: क्या तोड़-मरोड़कर मतलब?

श्री राजकुमार भाटिया: उन्होंने छोटा सा, मैंने पेरेंट्स की पीड़ा बताई वो इनको समझ नहीं आई।

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं ये सीरियस मामला है भई।

...व्यवधान....

श्री राजकुमार भाटिया: मैंने, खूब पीटिए, खूब पीटिए, आपका काम यही रह गया है। आपको बच्चों के आंसू समझ नहीं आए केवल आपको एक बात समझ आई कि मैंने छोटे स्कूलों की बात करी। अगर आपको ट्वीट करना था तो पूरा का पूरा भाषण करते तो आपका पर्दाफाश होता कि किस प्रकार आप पिछले 12 सालों में दिल्ली की जनता को शिक्षा के नाम पर लूटते रहे।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

श्री राजकुमार भाटिया: मैं स्पीकर साहब आपसे अनुरोध करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: आपका कहना है कि एक लाइन काट के उसको ट्वीट कर दिया गया।

श्री राजकुमार भाटिया: केवल मेरा 11 मिनट का भाषण था इन्होंने 30 सेकेंड का उसको ट्वीट किया।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है मैं, समझ गया मैं समझ गया मैं, आप बैठिए। अब निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री गजेन्द्र दराल।

विशेष उल्लेख(नियम-280)

श्री गजेन्द्र दराल: आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे 280 के तहत अपनी मुंडका विधानसभा और साथ में दिल्ली देहात की जितनी भी विधानसभाएं हैं नरेला से लेकर और लगभग मैं कहूंगा नरेला, बवाना, मुंडका, नजफगढ़ और मटियाला वहां पर किसानों को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या। क्योंकि जब-जब दिल्ली सरकार को किसी

भी बड़ी योजना के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले गांव की तरफ देखते हैं और वहां पर भूमि अधिग्रहण करके एक मिनिमम मुआवज़ा देकर और उसके बाद उस ज़मीन के बदले में किसान को एक बड़ी आस रहती है कि हमें आल्टरनेटिव प्लॉट मिलेगा। लेकिन पिछले लगभग 11-12 साल से किसी भी जमींदार को उस ज़मीन के अधिग्रहण के बदले आल्टरनेटिव प्लॉट नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से अपने रेवेन्यू मंत्री महोदय से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में दो युनिट होती हैं। जमीन का मुआवज़ा मिलने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो जो दिल्ली सरकार के अधीन आती है वो उसकी रिकमंडेशन करके और डीडीए को भेजते हैं और डीडीए फिर उसका ड्रा करके उसको आल्टरनेटिव प्लॉट देती है और लगभग 1996 से लेकर आज तक जो भी ज़मीन एक्वायरमेंट हुई है। 1996 का मुआवज़ा अगर मैं आपको बताऊँ तो मात्र 15 लाख 70 हजार रुपए एक एकड़ का मुआवज़ा 15 लाख 70 हजार रुपए। उसके ऊपर शुरू का जो ब्याज होता है वह 9 परसेंट और जब अवार्ड हो जाता है तो उसका 15 परसेंट ब्याज लग के लगभग साढ़े बाइस लाख रुपये मुआवज़ा उस जमींदार को मिलता है। लेकिन उसे एक उम्मीद होती है कि मुझे दिल्ली में इस ज़मीन के बदले में एक उचित रेट से एक आल्टरनेटिव प्लॉट मिलेगा जो 80 गज से शुरू होकर और 250 गज तक सिमट जाता है। लेकिन लगभग साढ़े सोलह हजार लोगों के आल्टरनेटिव प्लॉट जिनकी रिकमंडेशन करके दिल्ली सरकार ने डीडीए के पास भेजा ही नहीं। ये मेरे दिल्ली के उन किसानों की आत्मा को चोट है जो ज़मीन उनकी रोज़ी-रोटी, जिस पर उनका पूरा परिवार निर्भर होता है और उनको उस चीज़ से वंचित रखा गया। अगर लैंड एंड बिल्डिंग दिल्ली सरकार की जो युनिट थी अगर वो समय पर रिकमंडेशन कर दे और डीडीए उसके बाद क्योंकि डीडीए के पास ज़मीन बहुत है वो आल्टरनेटिव प्लॉट देने में कहीं भी आनाकानी नहीं करेगी। लेकिन मैं कहूंगा की पीछे जिसकी भी सरकार रही, लेकिन कहीं ना कहीं उन किसानों को वंचित ज़रूर रखा गया। जिन किसानों का एक तरीके से ये जो अधिकार था, जिस अधिकार के प्रति वो वंचित रहे क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती थी कि जब हमें द्वारका में या रोहिणी में या कहीं पर भी एक आल्टरनेटिव प्लॉट मिलेगा तो मेरे बच्चे भी शहरों में जाकर अपने परिवार का लालन पोषण करेंगे। उनका एक प्लॉट होगा या उस प्लॉट को बेचकर महंगे रेट पर अपने परिवार की रोज़ी-रोटी चला लेंगे, लेकिन नहीं। 2011 के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई और उसको अलग प्रकार से उल्लेख करके उन सभी जमींदारों के प्लॉट रोक दिए गए। अभी-अभी मात्र 15-20 दिन पहले कैलाश गहलोत जी ने भी शायद एक लैटर के माध्यम से आपको सूचित किया है क्योंकि उनसे भी एक प्रतिनिधि मंडल गांव का जो किसानों का मिला है। तो हमें इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि उन लोगों को एक उम्मीद है कि आज दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। सभी को अधिकार देने में उनके जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से

चाहे मेरे सामने वाले मेरे भाई बैठे हों, बुजुर्ग बैठे हैं इनके भी क्षेत्र की कभी ना कभी ज़मीन **acquisition** हुई होगी और इनके पास भी लोग इस समस्या को लेकर आते होंगे। तो मैं इस सदन से यह निवेदन करता हूँ कि इस पर संज्ञान लेकर और जो लगभग साढ़े सोलह हजार आल्टरनेटिव प्लॉट जो उन लोगों की एक रोज़ी-रोटी

(समय की घंटी)

श्री गजेन्द्र दराल: उनके बच्चों का भविष्य बन सकता है उस पर संज्ञान लें और जल्दी से इनकी रिकमंडेशन करा के और डीडीए के पास इनको भेजा जाए, ताकि उनको आल्टरनेटिव प्लॉट मिल सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय। माननीय सदस्य एक सैकेंड मैं माफ़ी चाहूंगा एक परिचय मैं जो हमारे **visitor's gallery** में उपस्थित हैं माननीय श्री कैलाश जी सोनी जो **former** राज्यसभा के सदस्य **member of parliament** है राज्यसभा से और एमरजेंसी के दिनों में उन्नीस महीने जेल में रहे। इसलिए लोकतंत्र सेनानी संघ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो आज लोकतंत्र के इस मंदिर में इस कार्यवाही को देखने के लिए उपस्थित है। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री सतीश उपाध्यक्ष जी।

श्री सतीश उपाध्याय: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान मेरी अपनी असेम्बली मालवीय नगर विधानसभा जो जनहित से जुड़ी समस्या है और मैं समझता हूँ ये समस्या ऐसी है जो केवल मेरे साथ ही नहीं है ये सभी विधान सभाओं में इस प्रकार की अत्यन्त गम्भीर जन हित से जुड़ी समस्या विशेष करके जो जल मंत्री है या हमारा जो जल बोर्ड है उसको लेकर हैं। इस क्षेत्र के अनेक हिस्सों में नियमित रूप से पानी के बिलों की जो रीडिंग है वो रीडिंग ली नहीं जाती है और जब रीडिंग ली नहीं जाती है तो उनके बिल जनरेट नहीं होते हैं और बिल जनरेट नहीं होते तो छःछः महीने आठ-आठ महीने तक लोगों के पास **accumulation** हो जाता है और फिर एवरेज के आधार पर लोगों के बिल जनरेट कर दिए जाते हैं। जब बिल जनरेट हो जाते हैं तो वो बिल लाखों में हो जाते हैं। जब कोई भी उपभोक्ता वहां जाकर के अपने बिल जमा कराना चाहता है या वो कहता है कि

इसको rectify करिए, मेरा एवरेज बिल तो इतना नहीं है तो उसको कहा जाता है कि पहले आप पैसे जमा कराइए उसके बाद हमसे बात कीजिए और ऐसे लाखों उपभोक्ता हैं, जिनको लगातार इस तरह के गलत बिलों के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रूप से वो परेशान हैं और आमजन इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लगातार इसकी शिकायतें हमको अपने विधायक कार्यालय में भी मिलती हैं और वास्तविक खपत के मुकाबले कई गुना बिल आगे बढ़ा करके लोगों को दिए गए हैं इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए और लोगों को जो ज़्यादा बिल वसूले जा रहे हैं इस पर कोई ना कोई नीति बनानी चाहिए। वो कहते हैं पहले पैसा जमा कराओ यह आपके 10 लाख जमा कराइए उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। अतः मैं निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्टता चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर में जल बोर्ड द्वारा या अन्य किसी विधानसभा में भी जल बोर्ड द्वारा नियमित रीडिंग क्यों नहीं ली जाती? उसका कारण क्या है? बिना रीडिंग के भेजे बिना रीडिंग के भेजे गए बढ़े हुए बिलों की जांच और सुधार के लिए आपने क्या कोई कदम उठाए हैं कि अगर आपके बिना रीडिंग के आपने एवरेज बिल भेजें हैं तो उसका निदान कैसे होगा? उपभोक्ताओं को सही बिल उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से सुधार measures आपने लिए हैं, इसकी भी जानकारी हो जाए। क्या जल बोर्ड ने शिकायत निवारण की कोई विशेष प्रणाली या इस मुद्दे की शुरुआत की है। माननीय अध्यक्ष महोदय यह विषय सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारी आरडब्ल्यूऐज भी हमारे पास आती हैं। सीनियर सिटिजन भी हमारे पास आते हैं और उसके कारण से उनको लगातार दफ्तर के उनके चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस पर संज्ञान लिया जाए और इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवंत राणा: माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद, लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर समय समय पर अखबारों में टीवी में देखने को मिलता है कि वो सब्जी पर रंग

लगा रहे, मटर पर रंग लगा रहे हैं नकली पनीर आ रहा है और देसी घी की फैक्ट्रियां चल रही हैं, नकली देसी घी बनाने की। बहुत सारे फूट्स के ऊपर भी कैमिकल्स के साथ वो पकाए जाते हैं। नकली पनीर, नकली दूध की भरमार दिल्ली में रहती है और नकली देसी घी बनाकर डिब्बों में पैक कर रहे हैं। कैंसर की दवाइयां जो कैंसर रोगी है बेचारा उनको नकली दवाई परोस रहे हैं, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आम routine में देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है उनके डुप्लीकेट बनाकर के लोग बाज़ार में ग्राहकों को बेवकूफ बनाते हैं, देश भर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नकली घड़ी, नकली शूज, नकली वाच और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय दालों में मिलावट। चावल वगैरह चाईना का चावल आ रहा है प्लास्टिक का। तोरी के ऊपर, जो बेचारा गरीब आदमी बीमार हो तो घीया, तोरी खाता है उसके ऊपर भी रंग लगाते हैं। तो ये बहुत घातक है ऐसी व्यवस्था। इस व्यवस्था पर कैसे काबू पाया जाए, इसके लिए कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है। आज दिल्ली के अंदर जो देश का नागरिक, दिल्ली का नागरिक है, कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हुए डरता है। जो हमारे अभी चाय परोसता है पनीर का पकोड़ा आया था वो सोचता है नकली पनीर तो नहीं होगा इसमें, ये सच है। तो असुरक्षा का भाव है दिल्ली के नागरिकों में, देश के नागरिकों में। तो असुरक्षा का भाव समाप्त हो और बेझिझक व्यक्ति खाद्य पदार्थों का सेवन कर सके और वह स्वास्थ्य पूर्वक हो और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। तो इसके मानक तैयार करने चाहिए और इसमें कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है देश भर में। ये देश की पार्लियामेंट को भी आप भेजो और अपनी दिल्ली का भी एक कानून बने कि कोई भी अगर खाद्य पदार्थ में मिलावट करेगा तो फांसी का प्रावधान उसको होना चाहिए कोई भी हो चाहे वो। चाहे वो दवाओं में खाद्य पदार्थों में हो चाहे किसी अन्य पदार्थ हो और जो ग्राहक को कन्जूमर को धोखा देने का काम करता है उसके जीवन से खेलने का काम करता है यह असहनीय है। तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष जी इसके ऊपर आने वाले समय में मैं प्राइवेट मैम्बर बिल भी प्रस्तुत करूंगा वो स्वीकार करें या ना करें वो आपका विषय है। लेकिन आप स्वयं से भी इसमें संज्ञान लेते हुए सरकार को इस

प्रकार का कठोर कानून बनाने का निर्देश या आग्रह करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट। नहीं बैठिये, बैठिये चर्चा। नहीं माननीय श्री संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 280 के अधीन नियम पर विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा विषय शराब की खुली हुई दुकानों से संबंधित है। मेरी विधानसभा के अंतर्गत 17 शराब की दुकानें हैं और डेढ़ किलोमीटर के दायरे में आठ दुकानें हैं। इन दुकानों की वजह से जनता को जो हमारी बहनों को और बच्चों को और बुजुर्गों को परेशानी होती है क्योंकि इन दुकानों पर भीड़ शाम के छह बजे से लेकर दस बजे तक लगी रहती है। वहीं पर खाद्य पदार्थ बड़े खुले आराम से मिलते हैं उनको और साथ में वही वो शराब की बोतल लेते हैं और वही पीते और फिर वहीं आपके शोर शराबा करते हैं। जिसकी वजह से पुलिस को भी कई बार हम जब कम्प्लेंट करने जाते हैं तो कई लोग जब शराब के नशे में होते हैं तो उनको पकड़ कर ले जाए लेकर जाया जाता है एक्शन भी होता है लेकिन यह दिन प्रतिदिन की एक तरह की ऐसी बात हो गई है जैसे दिलशाद गार्डन के अंदर मार्केट में अब हमारी बहनें सामान खरीदने के लिए जाना चाहे तो शाम के वक्त तो नहीं जा पाती। इसी वजह से कई बार उनको ऑन लाईन सामान मंगाना भी पड़ता है। मजबूरी में बच्चे जा नहीं पाते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि एक ऐसी हमारी बिहारी कॉलोनी है जिसमें शराब के ठेकों को खोलने से पहले जब पूर्ववर्ती सरकार थी क्योंकि उसी समय के खुले हुए है ये सारे ठेके हैं, बड़ा वहां पर हंगामा हुआ, बड़े प्रदर्शन हुए लेकिन मुख्य द्वार बिहारी कॉलोनी पर खोल दिया गया है। अब बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो शराब की दुकान नज़र आती है। उनको भी मन करता है कि शराब की बोतल क्या चीज़ है इतनी लंबी भीड़ लगी है तो इसको क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। जबकि सरकार का काम ये नहीं है कि शराब की दुकान को इस तरह से ऐसे मार्केटों में क्योंकि अधिकतर दिल्ली का जो घनत्व है इतना बढ़ चुका है हर जगह

कॉलोनीयों के अंदर दुकानें खुली हुई हैं जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन पुलिस को भी समस्या है, समाज को भी समस्या है। मेरा इसमें एक आपसे निवेदन और एक सजेशन भी है माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मंत्री जी। हमारे...

माननीय अध्यक्ष: ये मारवाह जी।

श्री संजय गोयल: माननीय मंत्री जी ने नशा मुक्ति के लिए रविन्द्र इन्द्राज जी ने एक कार्यक्रम बहुत सुंदर किया। क्योंकि नशा मुक्ति अभियान में भी ये शराब की दुकानें बाधक है। तो मेरा एक निवेदन है कि यह शाम को ये दुकानें बंद होनी चाहिए। सुबह दस बजे से छः बजे तक ये दुकानें खुलेंगी तो ना रेहड़ी पटरी लगेंगी, ना तो वहां पर आपका ट्रैफिक जाम होगा, ना ही क्या नाम है ये हुड़दंग होंगे और समाज के लोग इससे लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि 10:00 बजे से 6:00 बजे तक दुकानें खुलनी चाहिए क्योंकि सरकार का कार्य इनकम, उस ठेके के माध्यम से कमाने का नहीं है, क्योंकि जिसने शराब पीनी है, वो 10 से 6 भी खरीद सकता है और एक नियंत्रण ट्रैफिक पर, ट्रैफिक जो जाम लगता है उस वजह से, दिन प्रतिदिन मेरे ज्वाला नगर में लगता है, दिलशाद गार्डन में लगता है और बिहारी कॉलोनी में लगता है। इतनी समस्या होती है कि हम लोग वहां पर उनका समाधान नहीं कर पाते। तो मेरा एक आप के माध्यम से निवेदन है मंत्री जी को, ये दुकानें 10 बजे से 6 बजे तक खुलनी चाहिए जिससे जाम से मुक्ति मिल सके। धन्यवाद आपने अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार महावर जी।

श्री अजय दत्त : अध्यक्ष जी हम इसके समर्थन में हैं दिल्ली की सारी शराब की दुकानें बंद करा दो।

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाओ। चलिए।

श्री अजय महावर : माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद आपका आपने नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया। मैं 280 के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, अपनी विधानसभा के 2 ऐतिहासिक गांव, गढ़ी मेंडू और उस्मानपुर, इसका विषय उठाना चाहता हूं।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : 280 है मैडम।

श्री अजय महावर : ये 280 है ना।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष : कोई नहीं जरूरी नहीं है।

श्रीमती आतिशि (माननीय नेता प्रतिपक्ष) : विधायक अपने इलाके के इतने महत्वपूर्ण उठाते हैं और जिन मंत्रियों के..... हमारे दो मंत्रीगण मौजूद हैं।

माननीय अध्यक्ष :.....उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज हैं, नहीं ये विषय जमता नहीं है प्लीज।

श्री अजय महावर : 10 साल हमने भी देखा है।

माननीय अध्यक्ष : आप जारी रखिये। नहीं मैडम, प्लीज।

श्री अजय महावर : 10 साल हमने भी देखा है आपकी सरकार चलते हुए मंत्रीगण नदारद रहते थे। आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : तुम्हारा नंबर भी आना है अनिल जी फिर अगर लेट करवाओगे तो मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा।

श्री अजय महावर : इन दोनों गांवों में वर्षों से बसे नागरिक आज भी पानी, बिजली, सीवर, जैसी मूलभूत समस्याओं से लड़ रहे हैं, वंचित हैं। और 'ओ' जोन का कारण बताकर के बिजली का कनेक्शन 2018 तक दिया जा रहा था 2018 के बाद बंद कर दिया। अब ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, कि एक ही राज्य में दो कानून अपनाए जा रहे हैं। बीएसईएस जो पावर लिमिटेड है, बीएसईएस पावर लिमिटेड बदरपुर विधानसभा के हरिनगर में, मीठापुर में, जैतपुर में इनमें 'ओ' जोन होने के, इस कारण के बावजूद बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। मैंने वहां के सीओ साहब से भी बात की, लेकिन वही बीएसईएस की यमुनापार वाली जो कंपनी है, वह है ओ जोन के नाम पर बिजली का कनेक्शन पिछले

7 सालों से रोक रखा है और जिसके कारण वो गांव वाले बहुत परेशान हैं। मजे की बात यह है, बिजली के खंबे लगे हुए हैं, खंभों पर लाइट देते हैं, बिजली का ट्रांसफॉर्मर भी गांव में लगा हुआ है। तो वो ओ जोन है तो वो सब चीजें क्यों लगी हुई हैं। अगल-बगल में मेट्रो का निर्माण भी चल रहा है, एनएचआई भी चल रहा है, दिल्ली पुलिस का अस्तबल भी बन रहा है, सारे काम हो रहे हैं सिर्फ जो रिहायशी इलाके हैं, जो रिहायशी मकान हैं पुराने उस पुश्तैनी गांव में उन्हीं को बिजली से महरूम रखा जा रहा है। यह न केवल असंवेदनशील मामला है बल्कि समानता की भावना के विरुद्ध भी यह दिखता है। घोंडा के जो लोग हैं इस दोनों गांव के मैं उनकी तरफ से करबद्ध प्रार्थना, ये तीसरी बार मैं सदन में उठा रहा हूं। पिछली सरकार जब थी तब दो बार तब भी उठाया था मैंने, आज तीसरी बार यह उठा रहा हूं कि जहां हमारे भारत में पशु पक्षियों को भी पानी दिया जाता है, रोशनी दी जाती है, वहां रह रहे गांव के भोले भाले नागरिकों की इस पीड़ा को भी हमें समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ऊर्जा मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और जो अलग-अलग नियम एक ही राज्य में चल रहे हैं, इस भेदभाव को खत्म करके और हमारे गांव वासियों को गढ़ी मेंडू और न्यु उस्मानपुर गांव को बिजली देने के लिए निर्देशित करेंगे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्रीमती नीलम पहलवान जी।

श्रीमती नीलम पहलवान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी नजफगढ़ विधानसभा के गांव के किसानों की तथा व्यापारियों की अहम समस्या से आपको अवगत करवाना चाहूंगी जोकि नजफगढ़ में सब्जी मंडी के संदर्भ में है। यह सब्जी मंडी लगभग 70 वर्षों से बहादुरगढ़ स्टैंड नजफगढ़ में लगाई जाती है, परंतु बढ़ती आबादी के कारण वह स्थान बहुत ही ज्यादा संकुचित हो गया है जिसके कारण आम जनता को आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सब्जी मंडी का दायरा लगभग 500 मीटर का है तथा डीटीसी बस टर्मिनल भी सामने होने से यहां पर सदैव जाम की समस्या बनी रहती है। जिस कारण वहां से समस्त यातायात राहगीरों व आम जनमानस का आवागमन बहुत संघर्षपूर्ण रहता है। तथा दुर्घटना के कारण लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं व कई

बार परिस्थितियों में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। और अब यह स्थान अत्यधिक समस्याओं का केंद्र बन गया है। स्थानीय लोग और व्यापारी भी इस समस्या से अत्यधिक परेशान हैं, परंतु सब्जी मंडी हेतु पर्याप्त जगह ना होने के कारण समस्त किसान तथा व्यापारी भी वहीं व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। अतः आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि मेरी नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव देहात तथा व्यापारी हेतु सब्जी मंडी के लिए एक पर्याप्त जमीन सरकार द्वारा आवंटित करवाई जाए, जिससे कि व्यापारी वर्ग गांव के किसानों को, स्थानीय लोगों को और यात्रियों को इस बड़ी समस्या से मुक्ति मिल सके और ये जो सब्जी मंडी है, ये हरियाणा रोड और दिल्ली रोड दो राज्यों को एक रोड से जोड़ती है जो वहां पर लगती है। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ अनिल गोयल जी।

डॉ अनिल गोयल : अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी जैसे लवली जी ने कहा, 3 दिन बाद आया, बहुत मुझे अच्छा लगा और एक विशेष विषय उठाना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार के माननीय पीडब्लूडी मंत्री जी का ध्यान कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र की गंभीर समस्या खासतौर से उसके प्रवेश मार्ग रोड नंबर 57 राजा राम कोहली मार्ग, पटपड़गंज रोड, इन्हीं सभी प्रवेश मार्गों पर भीषण जाम और व्यापक अतिक्रमण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। और दूसरा विषय है रेड लाइट्स, और वजह सीधा सीधा है अध्यक्ष जी, पटपड़गंज रोड जो 100 फीट चौड़ी है और सारे रिकॉर्ड्स में जो मेरे पास हैं और ये रिकॉर्ड हमारे रवि जी बैठे हैं यहां, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में हम लोग तीन बार उठा चुके हैं, लेकिन वो एंक्रोचमेंट हट नहीं रहा है जो 20-20 फुट आगे है और 100 फुट की रोड 20-30 फुट रहती है। जहां आए दिन रोड रेज की घटनाएं होती हैं। आग लग जाए, हेल्थ इमरजेंसी हो, एंबुलेंस जा नहीं सकती और मेन कारण अवैध पार्किंग है और जो परमानेंट और टेम्पेरी एंक्रोचमेंट है उसमें एक डिवाइडर लगाना है जो ऑफिशियल है, ऑथराइज्ड है, वो लगाने का जरूरत है पटपड़गंज रोड पर, और यह एंक्रोचमेंट हटाने के लिए जो कोऑर्डिनेटेड टीम है, जो एसडीएम, डीएम, एसटीएफ एक दूसरे पर टालते

रहते हैं एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस इनका कोई एक जॉइंट टीम होना चाहिए जो इसको टेक ओवर करे। नहीं तो ये काम है, ऐसे ही होता रहेगा और एक बार हटने के बाद वहां की पुलिस की जिम्मेदारी हो कि वो दोबारा ना लगे, ये भी बड़ी समस्या देखी गई है। इसी प्रकार से रोड 57 जो पूर्वी दिल्ली को जोड़ती है, उस पर तो मेन रोड 57 पर, पीडब्ल्यूडी की रोड पर सर्विस सेंटर्स खुल गए हैं और उसके साइड में जो सर्विस लेन है, वो बिल्कुल उसमें आप पैदल भी चलना मुश्किल है, ऐसी अवैध सर्विस सेंटर्स को हटाया जाए और ये सारा का सारा तभी होगा, जब एक यूनिवर्सल एक टीम सिर्फ होगी। अध्यक्ष जी तीसरा विषय है जो कृष्णा नगर रेड लाइट, जगतपुरी रेड लाइट, आजाद नगर रेड लाइट, लवली जी यहां बैठे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे और कड़कड़डूमा पर पर शाम को 5:00 से 12:00 बजे, कोई ट्रैफिक पुलिस दिखता नहीं और इसीलिए वहां पर हर वक्त जाम की समस्या बनी रहती है, बारिश हो तब भी, नहीं बारिश हो तब भी। यातायात पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। यातायात पुलिस अगर वहां होगी, बीट ऑफिसर वहां होगा तो निश्चित रूप से उस रोड पर भीड़ नहीं लगेगी, इसकी उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए। यह मैं और मैंने ड्यूटी आवर्स भी पूछे ट्रैफिक पुलिस के अध्यक्ष जी तो उन्होंने बताया सात बजे से तीन बजे हैं और उसके बाद तीन बजे से दस बजे, लेकिन वहां मुझे कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो वहां पर ट्रैफिक को मैनेज कर सके। तीन बजे से 11 बजे। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि कृष्णानगर विधानसभा के महत्वपूर्ण मामलों में हम लोगों के कई बार डीडीसी में भी अधिकारियों को देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ अतः व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें और शीघ्र अतिक्रमण हटाने और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। आपके हस्तक्षेप से ही इस समस्या का स्थाई समाधान संभव है और कृष्णा नगर ही नहीं मैं तो कहता हूं गांधीनगर के निवासियों को भी राहत मिलेगी जिससे आसपास पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में समस्त जनता आपकी आभारी रहेगी, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह जी।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी आपने ये जो लगाया है न इसी में बोल रहे हैं। लेकिन एक बात और है इसमें कि एक एक वो दे दिया करो हमको बुक होती है क्योंकि लिखकर किसी को मैसेज देना है किस पर दें। वह ज़रूर एक एक कॉपी ना हर सदस्य को मिलनी चाहिए, नोट, नोट बुक जो होती है। क्योंकि वह ज़रूरी है किसी को उसको लिखना है चीफ व्हिप को, किसी को लिखना है तो वह देना चाहिए। दूसरी बात अध्यक्ष जी, सरकार हमारी है लेकिन मैं रिकवेस्ट कर सकता हूँ अध्यक्ष जी आपको कि कृपा करके जब 280 हो तो मंत्री साहिबान ज़रूर बैठें क्योंकि वह ज़रूरी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: आप बात।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: नहीं नहीं एक मिनट अध्यक्ष जी जो हमारे हक की बात है आप उसमें ज़रूर....

माननीय अध्यक्ष: देखिये यह 280 का कहीं नियम नहीं है।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: नहीं नहीं मैं क्या कह रहा हूँ अध्यक्ष जी नहीं है लेकिन कर्तव्य बनता है क्योंकि हम जो बोलते हैं कोई सुनने वाला होना चाहिए। यह नहीं मैं कह रहा कि कंपलसरी है।

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात शुरू करिए।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ दूसरी बात। एक यहां पर जो चेंबर में, अध्यक्ष जी, जो चेंबर में अफसर होने चाहियें 280 से कंसन्ड अफसर यहां पर होना चाहिए। यह तो है कि नहीं या यह भी नहीं है? यह भी नहीं है बता दो आप पहले तो। यह जवाब दे दो।

माननीय अध्यक्ष: बिल्कुल सही आप कह रहे हैं इस पर गौर करते हैं बात पे।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: इस पर गौर देना है आपने। मैं इस सदन का ध्यान मेरी जंगपुरा
.....व्यवधान.....

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: ओ यार आप बोलने दे क्यों तंग करते हो फिर उस टाइम कहते हो वो ये करता है।

माननीय अध्यक्ष: आप चेयर से बात करिए।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: वीडियो रील दिखा देते हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वीडियो रील से, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ विधायक कहते हैं जिनको रील में बोल दो, जो मर्जी बोल दो, बदमाश है यह जो मर्जी बोल दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यह ध्यान रखना। बोलते रहो जितना मर्जी। मैं इस सदन का ध्यान मेरी जंगपुरा विधानसभा, बहुत ही सुंदर विधानसभा है, की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: सब लोग उनका अभिनंदन करेंगे मारवाह जी का वह देखिये वह आईपैड में अपने नोट्स भी आईपैड में रखे हुए हैं।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: देख लो।

माननीय अध्यक्ष: कितनी बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: यह सब आपकी कृपा है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: कृपा तो आपकी है। आपको तो भगवान आपकी आत्मा को हमेशा ताकत दे।..... आत्मा का ओहो, अरे आत्मा, अध्यक्ष जी, पूरी बात नहीं सुनते। आत्मा का मतलब होता है यह आत्मा है।

...व्यवधान...

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: जब आत्मा तो कहो न कि परमात्मा उसको वह बात अलग है, वह शोक सभा में कही जाती है। यह तो आत्मा यहां पर आत्मा अध्यक्ष जी की यहीं पर है। हम भगवान से यही कह रहे हैं कि आपकी आत्मा.....

माननीय अध्यक्ष: समय समय।

(समय की घंटी बजी)

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष महोदय मेरी विधानसभा में लगभग 2.5 लाख जनता स्थाई रूप से निवास करती है। अध्यक्ष जी, आए दिन मेरे पास राशन कार्ड वाले यह बहुत बड़ी जटिल समस्या इन्होंने छोड़कर गए हैं हमारे उपर, हमारे यहां तो फोड़ दिया इन्होंने। इतनी बड़ी जटिल समस्या पहले नहीं थी हम भी 2013 में हमारे साथ राजकुमार जी, लवली जी, और ये अपना नीरज बैठा है मेरा। ठीक कह रहा हूँ न मैं। और ये भी हमारे साथ सारे।

माननीय अध्यक्ष: माननीय तरविन्दर जी थोड़ा समय का ध्यान रखिये। अभी आज बिजनेस बहुत है और समय कम है।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: तो जो ठीकरा कहते हैं न अध्यक्ष जी, हमारे जिम्मे 11 साल में ऐसा ठीकरा डाल गये हैं जो हमको भुगतना पड़ रहा है चार महीने से। सुबह उठो तो राशन कार्ड कब आएगा? सुबह उठो तो कब से राशन मिलेगा, ऐसा सिस्टम ये कर गया है वो तो यहां बैठा नहीं बेचारा, वो परवेश वर्मा के चक्कर में आ के उसका पता ही नहीं लगा, अब पंजाब गया हुआ है। और ये आतिशी जी भी मेरे कर के वहां बैठ गई नहीं तो वहां तो दूसरा आना था। यह भी कह दो मेरे कर के बैठ गई ना ये तो मुझे यह तो मुझे सुबह उठते ही ऐसे करें कि मारवाह साहब ने मुझे यहां पर, हां वैसे भी करती है, वैसे भी करती है।

माननीय अध्यक्ष: मारवाह जी मुद्दे पर आइए।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: तो अध्यक्ष जी आए दिन अध्यक्ष जी इसके बीच में कुछ ना कुछ जरूर मसाला लगाना पड़ता है। सुन लो क्योंकि जब दूसरों की दिखाएंगे नहीं तो फिर विधानसभा में क्या आने का फायदा है? आज आए दिन राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर नागरिक आते हैं। जनता का कहना है पूरी जो पिछली सरकारों ने केवल लोगों को ठगने और लूटने का काम किया है। कई गरीब परिवारों के राशन कार्ड या अपडेट ना होने के कारण उनको हटा ही दिया। मतलब राशन कार्ड कैंसिल ही कर दिया और बिना किसी लिखित सूचना के रद्द कर दिए गए। इससे उन्हें आवश्यक राशन प्राप्त करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय सरकार और संबंधित विभाग से अनुरोध करता हूं कि एक विशेष शिविर आयोजित किया जाए ताकि राशन कार्डों की स्थिति का पूर्ण सत्यापन हो सके। जिन लोगों के कार्ड रद्द किए गए हैं, उनकी पूर्ण जांच करके उनके फिर नए राशन कार्ड बनाए जाएं और उनकी मदद भी की जाए। मैं सरकार को जरूर कहूंगा कि आप लोग राशन कार्ड के कैंप लगाओ। आप लोग जिन लोगों के राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं, उनसे दोबारा अप्रूव करो और दूसरी बात मैं सरकार से यह भी अपील करता हूं कि आप झुग्गी झोपड़ी के जो रहता है, उसको राशन कार्ड अवश्य देना चाहिए और बीपीएल

कार्ड भी दोबारा से शुरू होने चाहियें, यह भी मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री अनिल झा।

श्री अनिल झा: धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने इस लोक महत्व के विषय में मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी किराड़ी विधानसभा के विषय पर मैं पहले भी कई बार यह जानकारी दे चुका हूँ। दिल्ली की सबसे ज़्यादा डेंस पापुलेटेड यानि कि सबसे ज़्यादा कम क्षेत्र में ज़्यादा आबादी यानि की साढ़े आठ लाख से ज़्यादा आबादी किराड़ी विधानसभा में रहती है और वोट भी लगभग पौने चार लाख को टच कर गया है। ऐसी स्थिति में लगभग डीडीए का एक मास्टर प्लान बना उसके अंदर हमारा रोहिणी सेक्टर 39, 40 और 41 हमारी विधानसभा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आज तक यह समझ नहीं पाया हूँ कि डीडीए जो है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है प्लानिंग डिपार्टमेंट।

वो इस देश का सबसे कुख्यात डिपार्टमेंट मुझे लगता है, उसके पास कोई प्लानिंग भेज दो, वो प्लानिंग डेढ़ साल, दो साल, तीन साल तक उस पर डिस्मिशन नहीं होता है। मैं, आदरणीय मंत्री जी जो बैठे हैं समाज कल्याण मंत्री जी और परिवहन मंत्री जी हैं, इत्तेफाकन है दोनों इस दिल्ली के सबसे ईमानदार मंत्रियों में आते हैं, यही आते हैं ईमानदार, मैं इनके पास गया था कि मेरे क्षेत्र में खसरा नंबर 10-12 है जिस पर अंबेडकर कल्चर सेंटर हमको बनाना है, इसकी फाइल लगातार मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजता रहा क्योंकि हमारे क्षेत्र में दलितों के लिए कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहां पर उनकी पीडीसी हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैम्प लगे, कोई वहां पर थियेटर हो, कोई, कोई वहां पर वो अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए कोई काम कर पाए, सोशल वेलफेयर के वहां काम हो पाएं, वहा सोशल वेलफेयर का ऑफिस हो। मैं मंत्री जी से भी मिला था लेकिन डीडीए का पांच महीने में जो मेरा एक्सपीरियंस है अत्यधिक निराशाजनक है और उससे पहले भी जो दो-दो साल से जो फाइलें हैं डीडीए के अंदर वो वैसे की वैसे प्लानिंग में पड़ी हुई है, वो आगे नहीं खिसकती हैं। उसके बाद हमने कहा कि किराड़ी के अंदर आठ, साढ़े आठ लाख की आबादी में एक भी पार्क नहीं है, एक भी, तो हमने कहां भई ग्रीन लैंड के लिए जगह है और वो मास्टर प्लान के अंदर सुनिश्चित है, आप

उसका डिमार्केशन कर दीजिए, वो आज तक डिमार्कट नहीं हुआ है। साढ़े आठ लाख की आबादी में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, हमको मंगोलपुरी के संजय गांधी या कुलवन्त राणा जी के यहां पर अंबेडकर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है यानि कि इतनी बड़ी आबादी के पास एक हॉस्पिटल नहीं है, हमने कहा भई हॉस्पिटल है हमारे पास, उसके ठीक से डिमार्केशन करके स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जाए, इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई तो उस पर कोई 100, 1000 करोड़ का कोई मामला बना पड़ा है तो हमने कहा मंत्री जी इस पर जो करना है फैसला कर दीजिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आजकल दिल्ली के अंदर चल रहा है वो है कि हमें अगर शिक्षा को अंतिम श्रेणी तक ले जाना है तो सरकारी स्कूल को ही डेवलप करना पड़ेगा। हमारे यहां दो जगह चिन्हित हैं, हमने डीडीए से कहा कि उसकी डिमार्केशन कर दीजिए, गरीब बच्चे पढ़ पाएं लेकिन पूरा सदन, हम, मुझे ऐसा लग रहा है पब्लिक स्कूलों पर ही चर्चा पर लगा हुआ है और मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पूर्वांचल के लिए और माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए ये दो स्कूल का डिमार्केशन होना बहुत जरूरी है। मेरे किराड़ी की जनता, मैं सरकार से निवेदन करता हूं इन गरीबों, वंचितों, दलितों, मुसलमानों, पूर्वांचल के लोगों के लिए हमें स्कूल चाहिए, कृपया उसका आवंटन करवाइए इस डीडीए से, डीडीए का कुख्यात विभाग वो नहीं कर रहा है।

(समय की घंटी)

श्री अनिल झा: इसके अलावा, अध्यक्ष जी मैं तीन ही मिनट बोला हूं, मारवाह साहब नौ मिनट बोले थे।

माननीय अध्यक्ष: आप पूरी करिए बात फटाफट।

श्री अनिल झा: सेक्टर-41 के अंदर एक समुदायिक भवन बनना है, जहां पर हम रविदास जी का समुदाय भवन के लिए मैंने सरकार से आग्रह किया और डीडीए से भी किया है, उसकी भी डिमार्केशन नहीं हुई है। पूरी किराड़ी में साढ़े आठ लाख की आबादी में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, हमने कहा वो ज़मीन को अलॉट कर दीजिए, उसको चिन्हित

करके मैंने भेज दिया, उस पर फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। इसके अलावा पानी की आपूर्ति किराड़ी के अंदर किस स्थिति में है, मैं अध्यक्ष जी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आठ लाख पचास हजार की आबादी है, हमें पानी मिलता है 8 एमजीडी कागजों पर, पानी आता है साढ़े सात एमजीडी, यानि के एक परिवार को मात्र 20 लीटर पानी मिलता है, ये **right to equality** का भी उल्लंघन है। उत्तर अफ्रीका के जो सबसे कमजोर देश है वहां पर भी दिन के अंदर दो सौ लीटर पानी दिया जाता है और किराड़ी के अंदर हमको मात्र बीस लीटर पानी मिल रहा है। मैंने कहा भई यूजीआर के लिए जमीन को अलॉट कर दीजिए, डीडिए को बोला भई ज़मीन दे दो आप हमारे किराड़ी में पानी नहीं है, हमको कम से कम चार पांच एमजीडी पानी चाहिए उसके अंदर वो भी डीडिए उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है।

(समय की घंटी)

श्री अनिल झा: मेरा इसके अलावा एक अब्दुल कलाम कल्चर सेंटर बनाना है हमको कि बच्चे साइंस और विज्ञान के बारे में सीख सकें, एक समुदाय भवन का वहां निर्माण होना है।

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात पूरी हो गई।

श्री अनिल झा: मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इसके साथ ही डिस्पेंसरी का भी एक मामला है डीडिए का। ये अगर आपके माध्यम से सरकार के लोग डीडिए के प्लानिंग डिपार्टमेंट में इस विषय से कहें और एक जॉइंट मीटिंग हो जाए तो हमें लगता है कि क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री अनिल झा: इसके अलावा अध्यक्ष जी आपने मौका दिया, एक आउटफॉल का भी ...

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य— श्री सन्दीप सहरावत जी।

श्री सन्दीप सहरावतः धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके समक्ष एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है उसको बताना चाहता हूँ। हमारी विधान सभा मटियाला में 4 गांव आते हैं जी, रावता, घुमन हेरा, झटिकरा, शिकारपुर और यहां लगभग, इन चारों गांव में से रावता गांव की 300 से 400 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई है जो आसपास एक साहिबी नदी है जिसकी एक तरफ तो रिटेनिंग वॉल है दूसरी तरफ रिटेनिंग वॉल है नहीं और हरियाणा के भिवाड़ी गांव से लेकर गुड़गांव से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया का वहां का पानी इस ज़मीन पर आता है और ना किसान यहां पर एक अन्न का दाना बो पाता है, मुआवज़ा भी नहीं मिलता। बहुत सारे पिछले सरकार के बहुत सारे मंत्री वहां पर गए, बहुत सारे अधिकारी गए, फोटो खिंच जाती है पर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता। पर समस्या यहां नहीं रुकती अध्यक्ष जी क्योंकि रावता गांव जो प्रमुख है उसमें लगभग कोई पानी की लाइन नहीं है, पानी की पाइप लाइन नहीं है जिससे सब ट्यूबवेल के ऊपर निर्भर है।

पर जो इंडस्ट्री भिवाड़ी तक का पानी वहां पर आता है तो उससे वहां बीमारियां फैलती जा रही है। इन चार गांव में लगभग सौ केस ऐसे हैं जिनमें कैंसर के केस हैं और लगभग तीस-चालीस लोगों की कैंसर से पिछले तीन साल में मृत्यु हो चुकी है। अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले मैं भी गया था और एक मां का दुख देखा नहीं जाता जब उसके एक जवान बेटे की कैंसर से मृत्यु हो जाती है।

तो अध्यक्ष जी मेरा निवेदन ये है इन चार गांवों को बचाया जाए, जो उनकी डिमांड है कि रिटेनिंग वॉल हो, जो पानी हमारा भिवाड़ी से, गुड़गांव से वहां पर आता है उसका समाधान निकाला जाए और आपके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हो ताकि समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य— श्री अशोक गोयल जी।

श्री अशोक गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे रूल 280 में लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय

मंत्री का ध्यान माडल टाउन विधान सभा में जो सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनियां बनी हैं उनकी बदहाल स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे माडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में कमला नगर वार्ड के गुलाबी बाग में कॉलोनी बनी है और उस कॉलोनी के अंदर जो हालात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, छतों की दीवारें चू रही हैं और उनके ऊपर जो जाने वाली सीढ़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हैं, कभी भी छत गिर सकती है।

इसी तरह से कमला नगर में डेशू कॉलोनी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस कॉलोनी की तरफ भी दिलाना चाह रहा हूं कि सड़कों की हालत बहुत खराब है, गड्ढे हैं और जो ज्यादातर फ्लैट हैं वो टूट चुके हैं।

माडल टाउन में एमसीडी कॉलोनी है जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, जो लगातार हमारे दिल्ली को साफ करने का काम करते हैं लेकिन उनके घरों की हालत देखें तो बहुत ज्यादा खराब है और उनमें क्योंकि सरकारी कॉलोनी है, सरकारी पैसा लग सकता है। उनकी दीवारें, छतें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, घर में कोई फंक्शन हो तो उसमें भी वो बुलाने के लिए अपने रिश्तेदारों को बहुत उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका किराया भी मार्केट रेट के बराबर ही है जो उनका कटता है। तो बड़ी बुरी स्थिति है।

इसी तरह से हमारे माडल टाउन विधान सभा में डीटीसी कॉलोनी है माननीय अध्यक्ष जी, उसकी भी स्थिति जो मैंने बताया बहुत बुरी है,

(समय की घंटी)

श्री अशोक गोयल: और संगम पार्क वार्ड में संगम पार्क में एक प्रेम कुंज कॉलोनी है जो डूसिब की है, इसकी सड़कें टूटी हुई हैं, बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है, छतें चू रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ये जो सरकारी कॉलोनियां हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी रहते हैं, इनके रखरखाव की पूरी जिम्मेवारी सरकार की है और इसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और इस

पर, इनकी मरम्मत और रिपेयर करवानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य— श्री संजीव झा जी।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: कल, कल ड्रॉ में डालो।

श्री अजय दत्त: डाल दिया, 3 दिन से डाल रहा हूं

श्री संजीव झा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया था, उस आदेश में यह कहा गया है कि अगर किसी विधायक या मंत्री को किसी डीएम, एसडीएम को बुलाना होगा तो चीफ सेक्रेटरी का परमिशन लेना पड़ेगा, यह सवाल केवल कोई विपक्ष का नहीं है या पक्ष के विधायकों का नहीं है यह मंत्री का है, अपने ही साथियों को तौहीन करना और पूरे सदन का यह अवमानना है। मैंने इसके संदर्भ में आपको एक प्रिविलेज का मैंने एक आपको नोटिस दिया था। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उस नोटिस को एक्सेप्ट करेंगे चूंकि अगर इस तरह से **Executive, Legislature** को कंट्रोल करने लगेगा तो जनतंत्र का पूरा परिभाषा ही खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको ये निवेदन करता हूं चूंकि ये संरक्षण आप ही कर सकते हैं हमारा। इस सदन के संरक्षण का ज़िम्मेदारी और दायित्व आपके हाथ में है। इस तरह का आदेश इस सदन का अवमानना है और अगर यह सदन का अब अवमानना है तो ये चेयर का भी अवमानना है। कोई भी ऐसा आदेश है जिससे लेजिस्लेचर को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, चूंकि जनतंत्र में की जनता अपना प्रतिनिधि चुनता है और जनतंत्र में संविधान में सबसे सुप्रीम जनता है तो जनता के विल का अपमान करना संविधान का अपमान करने के बराबर है ये आदेश। तो मैं आपको, और मुझे लगता है कि जो सत्तापक्ष के जो साथी हैं, एक तो ब्यूरोक्रेसी ऐसे ही इंतज़ार करती रहती है, कैसे हम चुने हुए सदस्यों को काम को कैसे रोकें? यह आदेश **shield** कर रहा है कि इस आदेश के बाद एक बहाना मिल जाएगा, विधायकों का डीएम, एसडीएम को ना फोन उठाने का। मान लीजिए मैं डीडीसी

का चेयरमैन हूं कई सारे चेयरमैन है फिर तो मीटिंग ही नहीं होगी और नहीं उठा रहा है डीएम फोन, अब वो डीएम फोन नहीं उठा रहा है वो कहेगा जो आदेश जारी हो गया। तो यह जो आदेश है, यह **illegal direction** है और इस डायरेक्शन को **immediately** सरकार वापस ले, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार वर्मा, चीफ व्हिप जी।

श्री अभय वर्मा (माननीय मुख्य सचेतक): आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि दिल्ली में निवासित धोबी समाज से संबंधित है। जैसा कि हम सभी भलीभांति से जानते हैं कि धोबी समाज बरसों से हमारे समाज की सेवा करते आ रहा है और यह समाज पारंपरिक रूप से कपड़े धोने उन्हें प्रेस करने और स्वच्छता बनाए रखने जैसे कार्यों में संलग्न रहा है जो कि सामाजिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक सेवाएं हैं किंतु विडंबना यह है कि आज भी इस समाज को वह बुनियादी सुविधाएं प्राप्त नहीं है जिनकी उन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए आवश्यकता होती है विशेष रूप से दिल्ली जैसे महानगर में जहां जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है वहां धोबी समाज के लोगों को कपड़ा धोने के लिए उचित स्थान या प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। इससे न केवल उनके कार्य में बाधा आती है बल्कि स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्थाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषरूप से उन स्थानों पर जहां धोबी समाज की घनी आबादी निवास करती है अस्थाई रूप से धोबी थड़े या वाशिंग प्लेटफॉर्म निर्माण कराया जाए। इन थड़ों का निर्माण सरकारी योजना के तहत किया जाए और उन्हें जल आपूर्ति, जल निकासी आवश्यक बिजली सुविधाओं से युक्त किया जाए ताकि धोबी समाज के लोग व्यवस्थित और सम्मानजनक तरीके से कार्य कर सकें। अध्यक्ष जी दो तीन सुझाव मैं इसी निमित्त दे रहा हूं। एक तो धोबी समाज के लिए कल्याण बोर्ड की गठन की जाए, पक्के प्रेस थड़े बनवाए जाएं, बिजली बिल नॉन डोमेस्टिक से डोमेस्टिक किया जाए और स्वच्छता अभियान के

जनक संत गाड़गे जी के नाम से लोकसभा अनुसार एक एक भवन का निर्माण कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राजकरण खत्री जी। नहीं नहीं अभी नहीं। देखो पहले बहुत टाइम हो गया, नहीं, नहीं।

...व्यवधान ...

श्री राज करन खत्री: आदरणीय अध्यक्ष जी।

...व्यवधान ...

माननीय अध्यक्ष: बैठिए।

श्री रविंद्र इंद्राज सिंह (माननीय समाज कल्याण मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अभय वर्मा जी का जिन्होंने धोबी समाज के बारे में चिंता करते हुए इस बात से अवगत कराया पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज कल्याण मंत्रालय पहले से ही धोबी समाज के थडों के लिए, उसके विकास के लिए, क्योंकि बहुत अहम् भूमिका समाज के अंदर धोबी समाज की रहती है और संत गाड़गे का जी का भी नाम उस सूची में डालने का प्रावधान किया जा रहा है जिसके कारण से धोबी समाज गर्व कर सके और अपने संतों की जयंती को मनाने के लिए एक विशेष धनराशि का भी आवंटन समय-समय पर किया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राजकरण खत्री जी।

श्री राज करन खत्री: धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे नरेला विधानसभा के क्षेत्र विशेषकर पाना पपोसिया, डीडीए रोड पर 50-60 गाय हमेशा घुमती या बैठी रहती हैं। वहां पास में ही बने कूड़ाघर में पोलिथिन में अन्य खराब चीजें पदार्थ खाती रहती हैं। इस कारण से अनेकों बार रोड पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं जिससे पीड़ित को गंभीर चोटें भी लगती हैं। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है व यातायात बहुत ही प्रभावित होता है, इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

अध्यक्ष जी मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करके इन गाय को यहां से हटाया जाए और गायों को गोशाला में उचित सम्मान मिले। बार बार लोग शिकायत करते हैं, लेकिन यहां एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समस्या का समाधान जल्द कराएं, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री जितेंद्र महाजन जी। बस यह अंतिम है और आगे।

श्री जितेन्द्र महाजन: धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी मेरे यहां एक नत्थू कॉलोनी फ्लाई ओवर है, ये फ्लाईओवर 125 करोड़ की लागत से बनाया गया था और फ्लाईओवर शुरू होने के छह महीने के अंदर ही इसके स्लैब जो है वह गिरने शुरू हो गए थे। मेरे द्वारा पिछले 5 वर्षों में आपदा सरकार के दौरान कई बार इस विषय को उठाया गया। मगर आपदा सरकार के मंत्रियों ने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया है और हालात यह हो गए कि आठ साल पहले उस पुल को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। बार, बार, बार, बार शिकायत करने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों की समस्या को देखते हुए मैं माननीय हाईकोर्ट गया। मैंने वहां पर एक पीआईएल फाइल की और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा ये कहा, ये ओन रिकॉर्ड है कि इस पुल को बनाने की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। 125 करोड़ में से 110 करोड़ रुपए पेमेंट हो गई और वह पुल जो है वो आज तक चालू नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय के सख्त रुख को देखते हुए तब की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने इस पर विजिलेंस इंक्वारी के ऑर्डर दिए और पर्यटन विभाग ने कोर्ट के अंदर ये कहा कि 3 महीने के अंदर इस पुल को चालू करने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर किए हुए भी छह से सात महीने हो गए हैं, ना तो वो विजिलेंस रिपोर्ट आई कि इस पुल के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं और ना ही वो पुल चालू हुआ। मैं आपके मध्य से माननीय पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसे पुल को जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए और उस विजिलेंस रिपोर्ट

को, जो आतिशी जी ने विजिलेंस इंकवायरी के ऑर्डर किए थे उसको सार्वजनिक किया जाए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण सदन में... एक मिनट प्लीज।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान : संजीव झा जी ने माननीय सदस्य ने जो प्वाइंट रखा 280 में कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक पत्र जारी हुआ है जिसके आदेश अनुसार कोई भी अधिकारी बिना परमीशन के विधायकों का।

माननीय अध्यक्ष : अब हो गयी ना एक बात एक बार कह दिया।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान : नहीं—नहीं इसमें एक आगे है, आगे है, उसमें आगे है, आगे ये है माननीय अध्यक्ष जी आपने जैसे ही अध्यक्ष का पदभार संभाला था तो एक पत्र जारी किया था उस पत्र में आपने लिखा था कि कोई भी विधायक अगर फोन करे, एसएमएस करे, व्हाट्सएप करे तो अधिकारियों को उसका रिस्पोंस देना है, उसका जवाब देना है और उस पर अगर कोई विधायक किसी अधिकारी को कोई काम कहे, तो उसका मान सम्मान करना है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस पत्र के द्वारा।

माननीय अध्यक्ष : नहीं वो देखिए एक मिनट सुनिए।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान : वो निरस्त हो गया है।

माननीय अध्यक्ष : वो इस तरह नहीं—नहीं निरस्त नहीं हुआ। आप बैठ जाइये। वो बिलकुल सही है।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियान : दूसरा एक कमेटी है, प्रोटोकोल कमेटी। दूसरा दूसरा एक कमेटी का गठन किया है, रूल कमेटी में आपने अभी मीटिंग भी ली थी, उसमें आपने कहा था कि प्रोटोकोल कमेटी ऑफ मेम्बर्स उनका मान सम्मान जो करना है और कमेटी बनाई है बाकायदा तो वो तो अपने आप ही निरस्त हो गयी अब अध्यक्ष जी क्योंकि अगर एक पत्र के द्वारा उनको बाधित कर दिया गया और उनको कैसे बुलाया जाएगा वो तो अगर कोई विधायक सभी की बात है ये।.....

माननीय अध्यक्ष चलिए ठीक है धन्यवाद। सिरसा जी मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा (माननीय पर्यावरण मंत्री) : यह गलत बता रहे हैं, कोई ऐसा इन्हीं के लिए अच्छा ऑर्डर निकाला ताकि इनके जवाब दे सकें, एसएमएस के जवाब दे सकें, फोनों के जवाब दे सकें, अगर वो सारा दिन ही वीडियो में, मीटिंगों में नहीं भी बैठेंगे, इनके पास नहीं जाएंगे तो काम नहीं होंगे, तो अच्छा आपके लिए अच्छा होना चाहिए, सुनिए सुनिए सुनिए। हम बुला सकते हैं, आप जो है, हमारी चिंता मत कीजिए। हमारी चिंता मत कीजिए।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : सदन में, अब आप सब, कृपया, ठीक है नहीं, फोन और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है सब हो रहा है, मैसेज वगैरह सब आप दे सकते हैं, आप बात कर सकते हैं किसने मना किया है आपको। माननीय सदस्यगण सदन में लगातार कई दिनों की चर्चा व तथ्यों के आधार पर, यह सदन निष्कर्ष पर पहुंचा है.... एक मिनट, एक मिनट, दिल्ली विधानसभा परिसर में फर्जी फांसी घर के निर्माण और झूठे विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इस संबंध में विपक्ष जो पूर्व में सत्तारूढ़ दल था, जिनके कार्यकाल में ये फर्जीवाड़ा हुआ, उनसे इस निर्माण के पक्ष में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसके आधार पर यह निर्माण करवाया गया था, लेकिन तीन दिन में भी कोई तर्कसंगत जवाब व तथ्य ना मिलने पर यह और पुख्ता हो गया कि यह इरादतन फर्जीवाड़ा किया गया था जबकि दूसरी तरफ नेशनल आर्काइव से प्राप्त 1912 का नक्शा अन्य दस्तावेज़ तथा इतिहास पर समर्पित अनुसंधान कर रही तमाम ऐसी संस्थाएं जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, आईजीएनसीए, हिस्टोरियंस जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जेएनयू के हेरिटेज सेल एमसीडी का, व दिल्ली का आर्काइव्स व अन्य इतिहासकारों की रिसर्च आदि से इस संबंध में प्राप्त दस्तावेज़ के आधार पर यह सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि यहां ना तो कभी फांसी घर था और ना ही ऐसी कोई सुरंग जो इस दिल्ली विधानसभा से लाल किला तक जाती हो। दिल्ली विधानसभा

परिसर में अगस्त 2022 में जब यह फांसी घर बनाया गया तो मेरे सहित विपक्ष के सभी सदस्यों की भावना देशभक्ति से जुड़ गई और हमको लगा कि यहां फांसी घर था और यहां शहादत हुई है तो हम लोग भावनात्मक रूप से सभी जुड़ गए, आपस में विपक्ष के साथी, जब मैं विपक्ष में थे हम, तो बात करते थे और हमें एक उर्जा मिलती थी कि ये हमारे शहादत स्थल है, लेकिन स्पीकर का पदभार संभालने के बाद इतिहास पर अनुसंधान कर रही संस्थाओं व राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता लगा कि यह फांसी घर तो फर्जीवाड़ा है, इस घटना से मेरी भावनाओं को ठेंस पहुंची और मुझे लगा कि मेरे साथ विश्वासघात किया गया है, क्योंकि एक भावनात्मक दृष्टि से अगर हम जुड़े हुए हैं और मालूम चलता है कि यह तो सब फर्जीवाड़ा है। मेरी ही तरह हजारों, लाखों लोग जो इसे सच समझ बैठे थे, वो भी आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। अतः सेंस ऑफ दि हाउस के आधार पर जो चर्चा हुई उसमें से जो सेंस ऑफ दि हाउस है, के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि इस हैरिटेज दिल्ली विधानसभा को पुनः मूल रूप में परिवर्तित किया जाए तथा इस दोनों टिफिन रूम में विधानसभा का सन 1912 का नक्शा भी स्थापित किया जाए जिससे कभी कोई इस भवन की गरिमा को ठेस ना पहुंचा सके। विधानसभा परिसर में 09 अगस्त, 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के दिन जो इस फर्जी फांसी घर के उद्घाटन का एक शिलापट्ट, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया का नाम लिखा है, इस शिलापट्ट को भी हटा दिया जाए, हैरिटेज बिल्डिंग के मूल रूप के साथ की गई छेड़छाड़ व फर्जी फांसी घर और फर्जी सुरंग बता कर जो इतिहास को बदलने का अपराध किया गया है, ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। अतः यह सदन इस कुकृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस पूरे विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं इस मामले की गहन जांच करने के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति को यह मामला सौंप रहा हूं, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया, तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष श्रीमती राखी बिरला को समन करेगी, उनकी मौजूदगी और निर्देशन में ही 09 अगस्त, 2022 को इस कथित फांसी घर का उद्घाटन किया गया था और जिस तरह

से सदन की गरिमा को ठेंस पहुंचाई गई और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया और सदन की गरिमा को इन्होंने पूरी तरह से, एक तरह से हनन किया है, उसके लिए यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा रहा है। अब मैं अगला एजेंडा यहां पर, यहां अगला एजेंडा, यहां पर समिति के प्रतिवेदन पर सहमति श्री मोहन सिंह बिष्ट माननीय उपाध्यक्ष प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 04 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। श्री मोहन सिंह जी। शुरू करिए।

.....व्यवधान.....

श्री अभय वर्मा : हाउस को इन ऑर्डर तो कीजिए। अध्यक्ष जी हाउस को इन ऑर्डर कीजिए, ऐसे थोड़े ही चलेगा।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : चलिए, शुरू करिए, चलिए चलिए। अरे आप इतिहास बदलने चले हैं आपने जो अपराध किया है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने टिफिन रूम को और किस तरह से पूरे इन्होंने एसआई का नाम लिया, एसआई ने साफ कह दिया हमसे किसी ने ना पूछा, ना हमने बताया। मतलब फ्रॉड, पूरा फ्रॉड, छोटा मोटा फ्रॉड भी नहीं, इतना बड़ा फ्रॉड, देश के करोड़ों लोगों की भावना से खिलवाड़! आगे शुरू करें। बस बस इस पर कोई चर्चा नहीं है। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी शुरू करें।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा (माननीय मंत्री) : अध्यक्ष जी इस पर एक चीज़ और ऑन रिकॉर्ड देनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट एक मिनट मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा (माननीय मंत्री) : क्योंकि ये टिफिन रूम था, वो तो सारा हर तरह का नोनवेज और हर तरह का मीट मांस खाते थे। आप उस जगह को आज शहीदों के साथ जोड़कर, कितना बड़ा अपमान है, मुझे लगता है, चलिए मुंह से नहीं बोल सकते पर खाते सब कुछ हीं थे वो तो और उस जगह पर उस लिफ्ट में जहां पर ऐसे मीट,

मुर्गा जाता, जहां मांस जाता था, उसको आप शहीदों का बताने लगे हैं और इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, मुझे लगता है ये भी इसमें आना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : ये इतना बड़ा अपराध है उस सरकार ने जो किया है, उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते आप। आप देश के इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए, यह ठीक नहीं है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 4 अगस्त, 2025 को नियम समिति की पहली रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट के बारे में सदन को मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर 5 जून, 2025 को आयोजित अपनी बैठक के नियम समितियों के सदस्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के बारे में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विचार करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष जी, दिल्ली विधानसभा के नियमों की समीक्षा और संशोधन नंबर (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में किए गए संशोधनों की पुष्टि करना है। अध्यक्ष महोदय जो (2) है उसमें जेंडर न्यूट्रल और सरल भाषा को अपनाना है, और तीसरा इसमें था अध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष द्वारा मनोनित नई समितियों के नियम में इसको शामिल करना। अध्यक्ष जी इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है निम्नलिखित 6 समितियां, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनित किया गया था और जो पहले से ही कार्यरत हैं, उनके नियमों में दिल्ली विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में शामिल किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो पहला था, उसमें सदस्यों के वेतन एवं अन्य भत्तों संबंधी समिति, दूसरा जो वो था, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम संबंधित समिति, तीसरा जो उसमें था प्रोटोकॉल मापदंडों के उल्लंघन और सरकारी अधिकारियों द्वारा सदस्यों के अवमानना पूर्ण व्यवहार संबंधी समिति, चौथा, चौथा था सर शांति एवं सद्भावना संबंधी समिति और पांचवा जो था वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति, जो लास्ट था सर छठा ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कल्याण समिति। विधानसभा प्रक्रिया नियमों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में सरकार

के अधिनियम 1991 के अनुरूप बनाने के लिए उनकी समीक्षा और संशोधन तथा जेंडर न्यूट्रल और सरल भाषा के प्रयोग के बारे में रिपोर्ट अलग से बाद में पेश की जाएगी। समिति की ओर से मैं इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन और विधानसभा सचिवालय अधिकारियों के जो उन्होंने निष्ठावान प्रयास किया है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव करिए यह सदन दिनांक चार अगस्त।

श्री मोहन सिंह बिष्ट : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन दिनांक 4 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ। विधेयक का पुरःस्थापन, अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4) को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमीशन मांगेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता (माननीय मुख्यमंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4) को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठो बैठो आप, अभी इंट्रोड्यूस कर रही हैं। अरे बैठिये बैठिये बैठिये। अगर आपको नियम नहीं मालूम तो बैठिये। बैठिये। अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी, शुरू करिये।

श्रीमती रेखा गुप्ता (माननीय मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष : हां हां शुरू करिये। मैं अनुमति दूंगा जब ना, बैठिये, मैं अनुमति दूंगा जब।

श्रीमती रेखा गुप्ता(माननीय मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं सदन की अनुमति से दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या चार) को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूँ।¹

माननीय अध्यक्ष: विधेयक का पुनःस्थापन 2, अब श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिये, बैठिये आप भी मुख्यमंत्री थीं बैठिये, मुझे मालूम है आप क्या करते थे बैठिये आप। उससे बहुत बढ़िया चल रहा है।

...व्यवधान...

¹ दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23415 पर उपलब्ध।

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिये, बैठिये जी एक मिनट।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अब आप इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगी।

श्रीमती रेखा गुप्ता(माननीय मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या पांच) को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: करिये मैडम आप इंट्रोड्यूस कीजिए।

श्रीमती रेखा गुप्ता (माननीय मुख्यमंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं सदन की अनुमति से दिल्ली माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या पांच) को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूँ।²

माननीय अध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन के सामने है

² दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23416 पर उपलब्ध।

जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें,
जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,
(सदस्यों के हाँ कहने पर)
हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2025 को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा होगी। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने वक्तव्य को प्रतिवेदनों की विषयवस्तु तक सीमित रखें और समय का भी ध्यान रखें। यह जो सीएजी की रिपोर्ट यहां रखी गई थी उस पर चर्चा को प्रारंभ करेंगे श्री राजकुमार भाटिया जी। यह जो जो चर्चा हम करवा रहे हैं।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये, बैठिये, बैठिये। वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप सदन में सिर्फ शोर मचाने के लिए आ रहे हो, फिर आते हो फिर जाते हो, फिर आते हो फिर शोर मचाते हो फिर जाते हो। मतलब ये सदन है या कंपनी बाग है, आते हो जाते हो, आते हो शोर मचाते हो, फिर जाते हो, क्या है ये। बैठिये।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: बैठिये 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के बिलडिंग कंस्ट्रक्शन संबंध में जो रिपोर्ट आई है, अब राज कुमार भाटिया जी शुरू करें।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: नाम दे रहे हैं आप सीएजी पर, सीएजी पर नाम दे रहे हैं। दो, लाओ।

श्री राज कुमार भाटिया: आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: आप भी ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे। ऐसे ही करते थे। आप तो सेम डे पास भी कर देते थे, इंट्रोड्यूस किया कंसिडरेशन भी, पास भी।

श्री राज कुमार भाटिया: आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: शुरू करिये। शुरू करिये।

श्री राजकुमार भाटिया: माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष: अभी कल कंसिडरेशन होगा, जब आप बोलियेगा, उसमें क्या है, बैठिये आप। आपको बिल की कापी दे दी है आप चेक करिये आपके आईपैड पे कापी आ गयी है, फोन पे कापी आ गयी है, बस। अब आप चलिये आगे।

श्री राजकुमार भाटिया: देखिये अगर आप 12 साल में नहीं समझ पाये तो अब भी नहीं समझ पायेंगे।

श्री अनिल झा : आप हमारे अभिभावक हैं इस क्लास के मॉनीटर हैं आप, मुख्यमंत्री जी को कहिए कि जीएसटी के विषय पर..

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अभी कंसिडरेशन में बात करेंगे ना । चलिए शुरू करिये जी।

श्री राजकुमार भाटिया: आदरणीय अध्यक्ष जी

...व्यवधान...

श्री राजकुमार भाटिया : अध्यक्ष जी हाउस को ऑर्डर में कराइये और इनको बैठाइये।

श्री अनिल कुमार शर्मा : अध्यक्ष जी इसको हमेशा बोलने की मंजूरी दी जाती है इसको बाहर किया जाये हाउस से। ये हर बात पे बोलता है।

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाइए। बैठ जाइए। अब समझ लीजिए आप। आप भी बैठिये। आप भी।

...व्यवधान...

माननीय माननीय नेता, प्रतिपक्ष: हाउस में इंट्रोड्यूस तो करिये।

माननीय अध्यक्ष: हां तो इंट्रोड्यूस हो गया ना। आपको कॉपी दे दी है।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: शुरू करिये जी, जब सीएजी की रिपोर्ट आती है आप शोर क्यों मचाने लगते हैं आप, अब सीएजी की रिपोर्ट में क्योंकि डिस्कशन होना है और आपको भागना है, यही है ना, आप चर्चा में भाग लेंगे सीएजी में? कल बिल पर कंसिडरेशन होगा तब आप अपनी बात रखिएगा, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, कल कंसिडरेशन एंड पासिंग है कल।

श्री राज कुमार भाटिया: इस रिपोर्ट में जिन वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है लेकिन इसके साथ साथ कुछ विषय ऐसे भी हैं जिसमें सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने ऐसी मद हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिन पर प्रस्तावित बजट तो दिया गया और उसका संशोधन भी किया गया, लेकिन 76 ऐसी योजनाएं जिसको एक करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट प्रावधान किया गया लेकिन उसके साथ साथ उस पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया। ये मैं उन विषयों पर बात कर रहा हूँ जिस पर।

माननीय अध्यक्ष: जिन सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है और चर्चा को सुनना है वो माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर लें। चलिये।

श्री राज कुमार भाटिया: एनेक्शर 03 (10) में 03.04.2020 ये वो योजनाएं हैं जिनके प्रावधान में।

...व्यवधान...

श्री राज कुमार भाटिया: संशोधित बजट जो है 72 योजनाओं में 3063 करोड़ रुपए था। इसमें वो योजना भी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षित योजना दिल्ली पुलिस सेवा

सोसाइटी द्वारा जिसमें निर्भया योजना थी उस योजना को भी तत्कालीन सरकार ने लागू नहीं किया। इन योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, दृष्टिहीन बालकों के लिए जो विद्यालय बनाने की योजना थी, विकलांगों के लिए स्कूल बनाने की योजना थी, भिखारियों के लिए घर बनाने की योजना थी, आंगनवाड़ी की योजना थी और देश की प्रमुख योजना जिसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का भी...

...व्यवधान...

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

श्री राजकुमार भाटिया: पैराग्राफ 3.4.2 में और तो और इनको अपने भविष्य के बारे में पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है, सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई करने के लिए जो विशेष अदालतों का प्रावधान था उसको भी इन्होंने पूर्ण नहीं किया है। उस पर 2 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च किया जाना था, लेकिन इन्होंने उस पर शून्य बजट खर्च किया। भारत का महोत्सव जो देश की प्रतिष्ठा, अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ था, उस पर पांच करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट आया लेकिन इन्होंने उस पर भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। ऐसी अनेक योजनाएं जिस पर खर्च किया उसमें घोटाला किया और जिस पर ज़रूरत थी उन्होंने।

...व्यवधान...

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

माननीय अध्यक्ष: 2 मिनट रुकिए आप, मैं चेतावनी दे रहा हूं अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप सीएजी पर चर्चा नहीं होने देना चाहते ये सदन समझ रहा है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार उजागर होंगे तो आप शोर मचाएंगे, सीएजी की रिपोर्ट है ये और इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वर्कर्स जो फ़र्जीवाड़ा हुआ है इसमें। जो बिल्डिंग **construction** वर्कर नहीं हैं उनको पेमेंट कर दी करोड़ों रुपए की और लाखों करोड़ रुपए गरीब मज़दूरों का इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। आप बात नहीं करना चाहते सीएजी पर, सीएजी पर आप बात करते हुए क्यों घबराते हैं हर बार जब सीएजी रिपोर्ट आती है। अपने समय में सीएजी की रिपोर्ट दबाई आपने, आज सीएजी रिपोर्ट आ रही है, चलिये शुरू करिये।

...व्यवधान...

श्री राजकुमार भाटिया: मान्यवर ये सीएजी रिपोर्ट इनके भ्रष्टाचार का चिट्ठा है। ये बार बार इसीलिये कहते हैं क्योंकि हर पेज पर इनकी सरकार के काले कारनामे लिखे हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैं कार्रवाई करूंगा। अपने आप चले जाईये नहीं मैं कार्रवाई करूंगा। मैं नहीं चाहता मैं मार्शल को कह के आपको बाहर करूं। चलिये, धन्यवाद शुरू करिये।

(अपराहन 3.46 बजे विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से वॉक आउट किया गया।)

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: चलो।

श्री राजकुमार भाटिया: अबकी मत आइएगा दोबारा।

माननीय अध्यक्ष: जब सीएजी रिपोर्ट आएगी यह हाउस में नहीं रहेंगे।

श्री राजकुमार भाटिया: मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीएजी रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत की है इस पर एक बहुत सटीक सा गाना है कि "जरा सामने तो आओ छलिए छुप छुप के चलने में राज क्या है", ये बार बार छुप रहे हैं अपने उन पन्नों को छुपा रहे हैं क्योंकि हर पन्ने पर ऐसी इबारत लिखी हुई है जिसमें इन्होंने एक रुपया भी खर्च किया है तो इसमें पुरानी वाली बात 85 पैसे गुम करने वाली बात है ये आपने पिछले फांसी घर वाले खर्चों में भी देख लिया होगा लेकिन मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि 76 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके लिए एक करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च की गई उसको इन्होंने रोक दिया गया उसके प्रस्तावित बजट में और संशोधित बजट में एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया जी। ऐसी ही योजनाओं में इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, दृष्टिहीन बालक विद्यालय विकलांगता निवारण केंद्र, भिखारियों के लिए घर आंगनवाड़ी की योजना और देश की बहु प्रतिष्ठित योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी जो रुपया खर्च किया जाना था उन्होंने एक रुपया भी खर्च नहीं किया है ये सब उन रिपोर्टों में लिखा हुआ है 76 ऐसी योजनाएं हैं और तो और इनको अपने भविष्य के बारे में भी पता था कि कल इन पर मुकदमे

चलेंगे, कल इनकी कारगुजारियों को अदालतों में ले जाया जाएगा तो सांसदों और विधायकों के संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जो विशेष अदालतों का निर्माण होना था उस पर भी इन्होंने एक रुपया खर्च नहीं किया क्योंकि इनको लगता था कि यह फसंगे वहां पर जाकर और उस पर भी शून्य बजट खर्च किया गया। देश के अस्मिता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ भारत का महा उत्सव जिसको पूरे विश्व में रह रहे भारतीयों ने मनाया उस पर भी इन्होंने, 5 करोड़ उस पर रखा गया था एक रुपए 1 करोड़ रुपए की संशोधित राशि कर दी गई और उस पर भी शून्य खर्च किया। यह साथियों सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यह रुपए खर्च नहीं किए गए जिसकी बहुत ज़रूरत थी दिल्ली के उस वर्ग को ज़रूरत थी जिसके लिए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को मानते हैं कि अंतिम सीढ़ी पर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए लेकिन उन्होंने इस योजनाओं को रोका इतनी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री तरविंदर सिंह मारवाह जी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी मुख्यमंत्री दी है जिन्होंने आते ही सबसे पहले जो काम किया सीएजी की रिपोर्ट, क्योंकि यह तो चाहते थे आपने देखा ताज्जुब की बात है अध्यक्ष जी, बड़ी हैरानी की बात है कि जब सीएजी की रिपोर्ट आती है इनके पीछे भूत आ जाता है, वो भूत का नाम है केजरीवाल, वो कहता है वाकआउट करो, बाहर जाओ। जितनी रिपोर्टें आई हैं, 6 या 7 रिपोर्ट आ चुकी हैं, 14 रिपोर्टें हैं लेकिन हर रिपोर्ट में विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा इनको करके दिखाया है और अभी दो रिपोर्टें और जो वो सीएजी से अलग है, जो मुख्यमंत्री जी ने आप, अभी—अभी ताजी ताजी निकाली है, एक रिपोर्ट है जय भीम के नाम से, मुख्यमंत्री जय भीम निधि, एक सौ पैंतालीस करोड़ की, उसका भी मैं मुख्यमंत्री को, धन्यवाद करता हूं ऐसी मुख्यमंत्री को पिछले पांच महीने में, पांच महीने में और एक दूसरी जो रिपोर्ट जिसमें प्रवेश वर्मा जी भी हैं जिन्होंने जाकर देखा, बारापुल से जो मयुर विहार की तरफ जा रहा है, वो प्रोजेक्ट लेट तो हुआ ही है, डेढ़ साल, दो साल लेट हो गया, जनता को कितनी परेशानी हुई क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग रोज इधर से सफदरजंग से निकल के मयुर

विहार, नोएडा, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी सब तरफ जाते हैं, उसको लेट के कारण सरकार को डेढ़ सौ करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, ये तो ये काम कर रहा था, बड़े बड़े अखबारों में एडवरटाइजमेंट दे रहा था। अभी हमारी मुख्यमंत्री जी को पांच महीने हुए हैं, सरकार को पांच महीने हुए हैं, लेकिन इसमें मैं एक बात और, हां जी,

...व्यवधान...

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: ढाई सौ करोड़ है, परवेश जी बता रहे हैं ढाई सौ करोड़, प्रवेश जी गए भी थे वहां पर, मुआयना करने भी गए थे। मैं बाहर था, मेरा बेटा गया था वहां साथ इनके और डेढ़ घंटा तपती गर्मी में प्रवेश वर्मा जी वहीं रहें, जिस तरह इनके फादर दिल्ली के लिए काम कर रहे थे उसी तरह प्रवेश जी भी दिल्ली के काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ढाई सौ करोड़ रुपए का नुकसान! ये यहां पर एक विडियो देख रहा था, ये जो विपक्ष की नेता हैं, नाम भी बड़ा अजीब है आतिशी जी, विडियो देख रहा था, किशती में तैर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, देखा था आप लोगों ने, देखा था कि नहीं,.... मैंने देखा था। अरे इस बार तो हमें मुख्यमंत्री का धन्यवाद, प्रवेश वर्मा जी का करना चाहिए, दोनों का कि कहीं पर भी, अध्यक्ष जी, दिल्ली में किसी जगह निकाल लो जहां पर पहले बसों के छत के ऊपर लोग आते थे निकल के पुल के नीचे से, लेकिन इस बार मैं मुबारकबाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को और प्रवेश वर्मा जी जिन्होंने डेढ़ महीना हर जगह जाकर किया, मेरे को रमेश बिधुड़ी जी ने बताया, एम.पी.साहब जो पहले थे कि मैं बदरपुर से निकला, एक बूंद पानी नहीं था बदरपुर के पुल के नीचे से और उन्होंने विडियो बनाकर भेजा और पांच लाख लोगों ने उसको देखा और कम से कम तीस हजार, पचास हजार लोगों ने लाइक किया। यह किसका चमत्कार है, मुख्यमंत्री का और प्रवेश वर्मा जी का, जिन्होंने सड़कों पर जाकर काम किया, धूप में काम किया कि इस बार बरसात में हम लोगों को उस तरह डूबने नहीं देंगे।

मेरे जंगपुरा विधान सभा में, शाही हॉस्पिटल रोड में, महारानी बाग की रेड लाइट से अंदर जाते हैं वहां पर, उधर जो अंडर ब्रिज लाजपत नगर वाला है वहां पर बिल्कुल साफ था। तो इसलिए अध्यक्ष जी ये हर बात पर सरकारी कर्मचारियों का जो इनका,

अध्यक्ष जी, 6.96 लाख में से 1.98 लाख का तो बिना चेहरे वाली तस्वीरें ऐसे ही लगाकर.. और आंगनवाड़ी का, पता नहीं कितनी आंगनवाड़ी बनाकर, वो क्या करती थीं, सिर्फ दिखती थीं इनके इलेक्शन में अध्यक्ष जी, घर-घर जाकर केजरीवाल ने यह किया, केजरीवाल ने, आपने देखा न, लिस्ट उनके हाथ में होती थी, मतलब सरकारी काम करने वाली औरतों को भी अपने इलेक्शन में तीन महीने पहले उतार देता था, क्योंकि हमने देखा है। इससे भयानक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं बना आज तक जब से देश की आजादी के बाद, जो इसने करके दिखाया, कभी शराब नीति, शिक्षा क्रांति, उसी के बाद शराब नीति और उसमें जो सिरसा जी का भी रोल रहा पांच-सात साल,.....

(समय की घंटी)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: हर बार शराब पर, उस पर अटैक करते हैं, हर बार अटैक करते थे, पूरी, पता नहीं कहां-कहां से पोलें निकालकर ले आते थे और उसको नंगा करते थे। अध्यक्ष जी, हर चीज में, ये तो कुछ भी नहीं है ये जो आज सीएजी की रिपोर्ट आई है। जो इसने काम किया है मतलब की हर चीज में बेईमानी, अभी देखा ना सात लाख के करीब और दो लाख सिर्फ वर्कर वहां पर, बाकियों का पता ही नहीं है, नाम देकर पैसे कहां जा रहे हैं किसी का पता ही नहीं है।

इसी तरह अभी भाटिया जी ने कहा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कितने पैसे खाते में डाले, क्या किया, क्या किया, मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी जो सरकारी तंत्र के आईएस हैं उनकी बात नहीं कर रहा दानिक्स वालों की, आईएस अफसरों की, बड़े अफसरों की नहीं बात कर रहा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं लगता था। घर में बुलाकर चीफ सेक्रेटरी को, घर में बुलाकर चीफ सेक्रेटरी को वो अपने गुंडे, जो क्या नाम था ओखला वाला क्या नाम है उसका,.... हां, वो है नहीं, नज़र भी कम आ रहा है, तो घर में बुला के पिटाई कराई मतलब ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा।

और दूसरा वो जो शरीफ सी थी एम.पी. राज्य सभा वाली स्वाति मालिवाल, इसके पीछे किसका हाथ था, मेरे को मालूम है, इसके पीछे सिर्फ हाथ था केजरीवाल की घरवाली का, सुनीता का।

(समय की घंटी)

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: नहीं—नहीं, मेरे को मालूम है, मेरे का पक्का मालूम है अध्यक्ष जी,....

माननीय अध्यक्ष: कंकलूड करिए अपनी बात को।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: मैं अभी, अभी तो 2 मिनट हुए अध्यक्ष जी, क्या कर रहे हों।

माननीय अध्यक्ष: घड़ी दिखा रही है 8 मिनट 45 सेकंड हो गए हो गए आपको बोलते हुए, लो पढ़ लो आप, देखिए, इसमें ये देखिये आप, टाइम चल रहा है 8 मिनट 50 सेकंड।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: 8 मिनट तो कुछ नहीं होता अध्यक्ष जी आजकल। अच्छा, ये भी लगा दी, घड़ी भी लगा दी।

माननीय अध्यक्ष: हां, टाइम चल रहा है ये।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, और क्या—क्या लगाओगे।

माननीय अध्यक्ष: अब इसको कंकलूड करिए।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: चलो कोई नहीं, मैं दो तीन....

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: मैं सुनीता केजरीवाल की बात कर रहा था। मैं, दो—चार मिनट तो और दो अध्यक्ष जी, इतना तो नहीं करो, बोलने वाले भी दो तीन ही और हैं, मुझे मालूम है, सारी रिपोर्ट है मेरे पास।

माननीय अध्यक्ष: चाय भी ठंडी हो रही है ना आपकी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: तो अध्यक्ष जी, हां, वो जब ब्रेक होगा, दो चार मिनट....

माननीय अध्यक्ष: नहीं, ब्रेक होना, ब्रेक करना हैं न।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, और मैंने उस दिन भी कहा था कि नाच बुलबुल पैसा मिलेगा, कहा था ना। वो क्या है मुझे मालूम है सिर्फ दिल्ली में कि इसका पैसा है कहां। तीन जनों को मालूम है, एक तो है केजरीवाल को उसका कोड नंबर, एक है उसकी घरवाली के पास और एक तरविन्दर मारवाह को पता है उसका पैसा कहां पड़ा हुआ है। मैंने उस दिन भी कहा था और ये मैं साबित करके रहूंगा, अध्यक्ष जी, मैं साबित भी करके रहूंगा, इसने नीचे इतना भ्रष्टाचार फैला दिया, अध्यक्ष जी इतना भ्रष्टाचार फैला दिया, छोटे-छोटे कर्मचारियों को रिश्वत सिखा दी अध्यक्ष जी, इससे भयानक बात नहीं हो सकती,

माननीय अध्यक्ष: चलिए, धन्यवाद। 10 मिनट....

....व्यवधान....

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी फिर टी के बाद बुलवा देना।

माननीय अध्यक्ष: हां-हां, बाद में।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: टी के बाद बुलवा दो, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य— श्री संजय गोयल जी, ब्रीफ में।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: मैंने कहा चाय के बाद बुलवाओगे।

माननीय अध्यक्ष: दो मिनट इनको। वो दो ही मिनट बोलेंगे न। दो मिनट बोलेंगे वो।

श्री संजय गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। 2 मिनट में तो अध्यक्ष जी, समय तो दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: एजेंडा भी पूरा करना हैं न हमको, सारा जो बिजनेस है वो पूरा, सबको मौका मिलना चाहिए।

श्री संजय गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो....

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: वो बाद में, चाय के समय।

....व्यवधान....

श्री संजय गोयल: 2023-24 के विषय में यहां सीएजी की रिपोर्ट रखी है जिसमें सरकार की वित्तीय स्थिति की स्थिरता, बजट प्रबंधन, लेखा प्रबंधन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता का आंकलन यहां बताती है, जिस तरह से इतनी सारी कमियां इस रिपोर्ट में देखी गई हैं जिसमें जो असंतुलन पाया गया है, बजट इतना बढ़ा लेकिन बजट का प्रतिशत जो खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हुआ। यदि मैं बजट की बात करूं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण और शहरी विकास में पूंजीगत व्यय भारी कमी देखी गई। स्वास्थ्य एवं जन स्वास्थ्य में 49.87 परसेंट बजट का जो एलोकेट हुआ था बजट के अंदर वो कम किया गया। शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में 42.19 परसेंट इसमें भी कमी की गई जो बजट एलोकेट हुआ था, ऐसे ही निर्माण कार्य में 39.70 परसेंट की कमी की गई और ऐसे ही शहरी विकास में 36.36 परसेंट की कमी की गई। यह जो दर्शाता है दिल्ली को ये लंदन बनाने वाले थे, दिल्ली को इन्होंने दिल्ली नहीं छोड़ा क्योंकि जो एलोकेट किया था, बजट तो दिखाया जाता था, वित्त मंत्री के माध्यम से बड़ा बड़ा बजट लेकिन वो बजट के अंदर इन्कम कहां से आए और खर्चे कहां से हो, इन्कम नहीं तो खर्चे कैसे होंगे इसीलिए ये बजट में जो एलोकेशन हुई बहुत कम हुई। जिसके अंदर यदि हम देखें, जिसके अंदर हम यदि देखें तो अनेकों अनेक जो योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू होनी थी वो योजनाएं लागू नहीं हुईं। और आप देखें 3760 करोड़ रुपए के 1313 उपयोगिता प्रमाणपत्र जो UC हैं वो क्या नाम है आज तक लंबित हैं, जिनको लेना चाहिए था, 3760 करोड़ रुपए कहां खर्च हो गए आज तक नहीं पता है उसका। ऐसे ही 346 करोड़, आपके 4466 बिलों का भी कोई पता नहीं है। ऐसे ही आपके यदि हम देखें 842 करोड़ रुपए निष्क्रिय पड़ा रहा जो कि योजनाओं के लिए दिया गया था उसका भी कोई हिसाब किताब इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने तो पूरे देश के अंदर सरकार बनानी थी, प्रधानमंत्री बनना था और दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं था, पंजाब में चले गए, दिल्ली को

पीछे भगवान के भरोसे छोड़ गए और आज इसी वजह से दिल्ली की जनता ने इन्हें दिल्ली से बेदखल कर दी। ये जो संसाधन में, प्रबंधन में जो कमी की गई पारदर्शिता में, मूल्यांकन में, ये सीएजी रिपोर्ट में बाकायदा एक-एक चीजों पर लिखा गया है कि जिस तरह से उन्होंने कई विभागों में आवंटन निधि का ही उपयोग नहीं किया गया, जिससे संसाधनों में इसका उपयोग नहीं हुआ कि योजनाओं के लिए बजट प्रदान किया गया लेकिन खर्च नहीं किया गया। ऐसे ही यदि हम देखें सार्वजनिक ऋण का जो जी.एस. डी.पी के मुकाबले वो भी के घटकर 3.19 परसेंट रहा जिससे ऋण के लिए बड़ी समस्या रही, जिससे अनेकों काम नहीं हो पाए। यदि हम राजस्व की बात करें तो रेवेन्यू जो सरप्लस जिसको कहते हैं इंगलिश में, 14,457 करोड़ से घटकर यह मात्र 6,462 करोड़ रुपए रह गया जोकि 55.30 परसेंट की कमी है। इसी तरह से यदि हम राजकोषीय घाटे की बात करें उसमें भी कमी आई। ऐसे ही पूंजीगत व्यय घटकर जो है, पूंजीगत में तो चलिए ज्यादा एमाउंट नहीं होता है क्योंकि उसमें ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यदि हम इस तरह से देखें तो इसको लगता है कि पूरी जो सीएजी रिपोर्ट हमारी मान्य मुख्यमंत्री जी ने पेश की है जो फाइनेंस बिल के ऊपर, जहां बजट बनाया जाता है, जहां दिल्ली की सेवा के लिए अनेकों अनेक विभागों के द्वारा काम किया जाता है उसमें कमी की गई है क्योंकि इनके पास समय नहीं था, समय ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्योंकि केजरीवाल जी तो आई. आर.एस ऑफिसर थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे, उन्हें तो जबकि उनके माध्यम से दिल्ली का जो बजट का एलोकेशन जो किया जाए उसका उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए था लेकिन दिल्ली में ध्यान न देने की वजह से,

(समय की घंटी)

श्री संजय गोयल: ये सब आज जो सीएजी रिपोर्ट में जो जो बातें की गई हैं उसकी बाकायदा प्रॉपर तरीके से यह जो प्रस्तुत की गई है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

(विपक्ष के सदस्य सदन में वापस आ गए।)

माननीय अध्यक्ष: 30 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, 4 बजकर 35 मिनट पर....

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: सदन स्थगित है, धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 4.35 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

L-2.03.30 to 2.19.20 IInd PK/DD

(सदन अपराह्न 4.40 पर पुनः समवेत हुआ)

माननीय अध्यक्ष(श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण अब चर्चा को आगे बढ़ते हुए माननीय सदस्य श्री सतीश उपाध्याय जी अपनी बात रखेंगे। यह सदन जब चलता है ना तो इसमें कुछ कागज़ भी चलते हैं, कुछ एजेंडा चलता है। तो वो जब तक मैं उनको हैंडओवर नहीं करूंगा ना समझा के वह आगे चल नहीं पाएगा।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी ये बताओ फाइनेंस पर है या उस पे है, ये भी बताओ साथ में, कन्फुजन हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष: क्या।

श्री तरविंदर सिंह मारवाह: कि ये फाइनेंस पे चल रहा है या उस पे चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष: फाइनेंस पे? हॉ ये फाइनेंस पे चल रहा है।

(आपसी बातचीत)

श्री सतीश उपाध्याय: आदरणीय अध्यक्ष जी देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश में **Perform, Reform and Transform** के साथ देश की अर्थव्यवस्था को ग्यारहवें नम्बर से चौथे नम्बर पर आगे बढ़ा दिया और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली सरकार की पिछली सरकार की मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीएजी की रिपोर्ट आ रही हैं, वो मात्र सीएजी की रिपोर्ट नहीं है, एक एक पन्ना जब खुलता है, तो उसमें भ्रष्टाचार होता है, एक एक पन्ना जब खुलता है, उसमें **mis-governance** होती है, एक एक पन्ना जब खुलता है, तो उसमें भाई भतीजावाद होता है और एक एक पन्ना जब खुलता है, तो सरकार की कारगुजारियां सबके सामने आती हैं। हम बात कर रहे हैं **State Finance Audit Report (SFAR)**, इस रिपोर्ट का उद्देश्य था, अध्यक्ष जी कि बजट का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, जनता का पैसा है कि बजट का उपयोग कैसे करना है और सरकार की ज़िम्मेदारी है कि योजनाएं जो सरकार लेकर के आती है बजट में, वो सही समय पर प्रभावी ढंग से लागू हुई या नहीं हुई और दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके बारे में बड़े बड़े वायदे किए जाते थे, एडवर्टाइजमेंट लगाए जाते थे, **transparency and accountability** अगर उसका जवाब आए, तो वह **completely zero** आपको उसके सामने मिलेगा। दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज की कार्यप्रणाली और कार्य क्रियान्वयन और नियम के पालनों की समीक्षा जब सीएजी द्वारा की गई तो उनके मुख्य निष्कर्ष और आंकड़े किस प्रकार से निकले, ये आप सबकी आंखें खोल देंगे, ये चौंकाने वाले हैं। बड़े बड़े वायदे हुए शिक्षा पर, बड़े बड़े वायदे हुए थे स्वास्थ्य पर। दो चीजों पर बहुत बड़ी बातें हुई थी कि क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे विश्व में अगर सबसे प्रभावी सरकार कोई है तो वो उस समय दिल्ली की सरकार थी। बजट यूटिलाइजेशन में किस तरीके से कमी हुई। कुल 59,379 करोड़ का बजट पास हुआ, लेकिन केवल 52,228 करोड़ खर्च हुआ, यानी 12 प्रसैंट, 12 प्रसैंट बजट बचा रह गया, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। बात की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, कि एजुकेशन का मॉडल, सिंगापुर से लोग आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, देखने आ

रहे हैं, बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ अध्यक्ष जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 17 हजार करोड़ का बजट लिया, लेकिन खर्च कुल चौदह हजार पांच सौ करोड़, यानी दो सौ पचास करोड़ का **un-utilization** बजट का किया गया। यह सीएजी की **observation** है ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये दिल्ली की झूठी शिक्षा क्रांति, जिसके बारे में बड़े बड़े वायदे किए गए, शिक्षा और शराब की जो **cocktail** थी, ये उसका परिणाम था, ये उसका परिणाम था।। **schemes** में **delay** और अधूरा क्रियान्वयन पंद्रह **major infrastructure** के प्रोजेक्ट थे। 9 प्रोजेक्ट समय सीमा से एक से लेकर तीन साल तक पीछे चल रहे हैं, ये इनकी कार्यप्रणाली थी। हेल्थ सैक्टर में तीन नए होस्पिटल की योजना थी, लेकिन पंकज जी ऑडिट के समय कोई भी पूरी तरीके से **operational** नहीं हुआ, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का **cancer institute** है, बना हुआ है, आज वो **cancer institute** अध्यक्ष जी, अगर आप जाकर के देखें, तो वो खुद आईसीयू से भी बदतर अवस्था में हैं, ये सरकार की कार्यप्रणाली थी। और इसलिए सरकार आप तो कुछ भी कहिए साहब, झा साहब दिल्ली की जनता ने आपको फैसला दे दिया कि जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार आप थे और इसलिए आप वहां बैठे हो, इसलिए आप वहां बैठे हो। ये तो आपका पुराने आदत थी, कभी एलजी को दोष देना, कभी प्रधानमंत्री को दोष देना, देते रहिए अच्छा है, बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसे ही करिएगा आप। और उसके बाद **rules violation of procurement** में आप **procurement** सबसे बड़ी चीज़ थी, वहीं से तो शुरू होता है सारा मामला, वहीं से तो आती है सारी **under the table** जो **under the table** जो चीज़ें चलती हैं, फाइलें कैसे चलती हैं, कैसे चलाई जाती हैं। बारह सौ करोड़ के **procurement** में **competitive bidding** नहीं थी। अब ये सरकार का नियम है साहब। ये हम नहीं कह रहे, सीएजी कह रही है कि आपको **competitive bidding** कराना आपकी **obligatory responsibility** है **and you have not done it. You have not done it.** और हुआ जिससे, उसी से आपकी **transparency** पर हजारों सवाल उठे

और ये सवाल सीएजी ने भी आपके लिए उठाया है। कुछ डिपार्टमेंट बिना **proper approval** के अब सरकार का सिस्टम है अध्यक्ष जी जब तक प्रोपर **due diligence** नहीं होगा, जब तक प्रोपर अथोरिटी उसको अप्रूव नहीं करेगी, आपने उसके पेमेंट कर दिए। अब ये पेमेंट कर दिए तो वो पेमेंट क्यों कर दिए? ये कहाँ जाता है? ये सबसे बड़ा प्रमाण भ्रष्टाचार का इसी के ऊपर जाता है कि क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार था, **under the table** आपने जिस तरह से पैसा खाया, पेमेंट बिना **approval** के कर दिए गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। ऑडिट में 85 करोड़ के, 85 करोड़ के ये संख्या है, **irregular payments** सामने आए हैं। इसका जवाब निश्चित रूप से इनको देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया। **internal controls** बहुत कमजोर थे। 40 डिपार्टमेंट्स ने पिछले सालों में जो सरकार की **obligatory responsibility** है साहब **internal audit** कराना, आप तो बड़ी बड़ी ऑडिट की बात करते थे। बिजली का ऑडिट कराइये, इसका ऑडिट कराइये, उसका ऑडिट कराइये, लेकिन आपने चालीस परसेंट डिपार्टमेंट्स में इंटरनल ऑडिट नहीं कराया, ये सीएजी की रिपोर्ट कहती है। **monitoring committee** बनी तो थी, लेकिन उसकी **meeting irregular** थी, **monitoring committee monitoring** के लिए बनती है। क्या आप उसमें देखेंगे।

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री सतीश उपाध्याय: दो मिनट मैं अपनी बात समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी बिल्कुल ईमानदारी से और कुछ नहीं तो साल भर में कुल एक या दो बार ही बैठक की, जिनको महीने में बैठक करनी चाहिए थी। **public welfare department** में गड़बड़ियां हुई। ओल्डएज पेंशन में अठारह हजार **beneficiaries** के **documents incomplete** थे। अब वो किसको अठारह हजार लोगों को पेंशन गई, कैसे दे दी गई, अंदर खाते दे दी गई। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, ये ऑडिट की रिपोर्ट कहती है। **subsidized electricity**

scheme में तीन सौ करोड़ की सब्सिडी रिलीज हुई, लेकिन ऑडिट में पाया गया 10 परसेंट लाभार्थी भी eligibility criteria पर दस परसेंट खरे नहीं उतरे, दस परसेंट। सीएजी की recommendation है कि डिपार्टमेंट्स को अपने बजट को पूरा सही इस्तेमाल करना चाहिए था। सभी योजनाओं को तय समय में ठोस प्लानिंग के साथ पूरा करना चाहिए था। procurement में नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए था। internal monitoring system को मजबूत करना चाहिए welfare scheme में beneficiaries को प्रोपर वैरिफिकेशन और समय का लाभ मिले, ये आपको करना चाहिए था। रिपोर्ट का निष्कर्ष है सीएजी की रिपोर्ट यह साफ दिखाती है कि दिल्ली सरकार को finance के discipline को सुधारने की ज़रूरत है। योजनाओं को समय पर प्रभावी ढंग से लागू करने की ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी जनता की योजनाओं का पूरा और सही लाभ पहुंचे, सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल और जनता की भलाई के लिए हो, योजनाओं की पारदर्शी और क्रियान्वयन इस रिपोर्ट का मूल उद्देश्य है और इनके पूरे के पूरे काले चिट्ठे को, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली यह सीएजी की रिपोर्ट है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय नेता, विपक्ष बहुत देर से आपने नाम दिया, इसलिए मैं सिर्फ आपको ही मौका दूंगा। वो फिर दोनों विपक्ष के लोग बोलेंगे एक साथ, चलिए बोलेंगे। एक मिनट बोल लीजिए आप अनिल जी बहुत short में बोलिएगा मैं आपको एक मिनट दूंगा। क्योंकि अब वक्ता नहीं है, अब तो मुख्यमंत्री जी को रिप्लेई करना है।

श्री अनिल झा: अध्यक्ष जी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के जो फाइनेंस को लेकर के जो विषय लाए गए हैं मेरा यह मानना है कि सरकार के द्वारा जो प्रतिपादित बजट होता है उसको लेकर।

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट अनिल जी, माफी चाहूंगा। माननीय सदस्य सतीश उपाध्याय जी के लिए भी क्लैपिंग करें उन्होंने भी नोट जो है वो ऑनलाइन ही पढ़े हैं। मैंने उनको बीच

में इसलिए नहीं टोका मैंने कहा उनका फलो बना हुआ है, बहुत बहुत बधाई आपका अभिनंदन है।

श्री अनिल झा: अध्यक्ष जी जो सीएजी की रिपोर्ट पर जो विभिन्न प्रकार की बातें कही गई हैं और खासकर वित्तीय मामलों को लेकर के जो पिछली सरकारों पर लगातार निशानें बनाए जा रहे हैं। मेरा उसपर यही कहना है कि जब हमारी 8 तारीख को हम लोग सदन में चुनकर के आए और जो पहला इस साल के लिए वित्तीय बजट पेश किया गया थोड़ा ध्यान उसकी तरफ भी मैं दिलाना ये चाहूंगा कि आपने बड़े उत्साह के साथ यहां ऐलान किया था कि एक लाख करोड़ का बजट हम लोग इस वित्तीय वर्ष में खर्च करेंगे। मेरा मानना होता है अक्सर हम लोग एक पुरानी कहानी पढ़ते हैं कि सूर्य की रौशनी सब पर बराबर पड़नी चाहिए। उस वित्तीय बजट पर किन किन मद में किन किन विषय पर इसका क्रमवार, ब्यौरावार, अनुक्रमांक के हिसाब से कैसा पैसा खर्च होगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। अब मैं हैरान इस बात से हूं कि सबसे ज्यादा बेसिक नीड किस चीज़ के लिए है, transportation, शिक्षा, un-authorized colony की development, झुग्गीबस्तियों का विकास और पच्चीस सौ रुपए का जो आप वादा कर रहे हैं, वह महिलाओं को मिलेगा, पेंशन मिलेगी।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं आप। सीएजी रिपोर्ट पर बोलिए।

श्री अनिल झा: सीएजी रिपोर्ट पर ही कह रहा हूं जी।

माननीय अध्यक्ष: सीएजी रिपोर्ट पर तो एक लाइन नहीं बोली आपने।

श्री अनिल झा: एक मिनट सर, मैं सीएजी रिपोर्ट पर...

माननीय अध्यक्ष: आप सीएजी रिपोर्ट पर बोल सकते हो तो ठीक है।

श्री अनिल झा: नहीं, नहीं। सर पिछली, सीएजी की रिपोर्ट अगर पिछली सरकार पर खाली निशाना साधेगी तो हम आइना नहीं दिखाएंगे। एक बार सीएजी पर ही बोल रहे हैं।

....व्यवधान...

श्री अनिल झा: आप बहुत बोलते हैं बैठ जाइये। अध्यक्ष जी ये हमारे अधिकारों का हनन है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, नहीं अधिकार आपका सीएजी। चर्चा रिपोर्ट पर है।

श्री अनिल झा: चर्चा रिपोर्ट पर ही है। सीएजी की रिपोर्ट पर मैं यही कह रहा हूँ ना। हमारा जो बजट था सीएजी पर जो आरोप लगाया गया एजुकेशन के ऊपर जिसपर ये कहा गया के एजुकेशन पर जो फंडस का जो दुरुपयोग हुआ है आपने ही ये आरोप लगाया है, मेरा ये मत है उसपर जो सीएजी की जो आपने रिपोर्ट पेश की है उस पर कोई स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट नहीं ली गई। आपको लगता था हमारी सरकार सत्ता में है इसलिए आरोप लगा दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, नहीं बैठिए आप, आप मिसलिडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं सदन में।

श्री अनिल झा: जितना बेहतर काम किया गया है अरविंद केजरीवाल जी।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं माननीय नेता विपक्ष, आतिशी जी से अनुरोध करूंगा वो अपना वक्तव्य शुरू करें। चल बैठ जाइये आप। शुरू करिये।

...व्यवधान...

सुश्री आतिशी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय अध्यक्ष महोदय ये जो ।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: अरे अब तो आपकी नेता बोल रही हैं ना, वो सारी बात बोल लेंगी, वो सारी बात बोल लेंगी, आप बैठ जाओ।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष: आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो सीएजी रिपोर्ट हाउस में प्रस्तुत हुई है उस पर आपने हाउस में मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि आज जो प्रोसिडिंग्स चल रही है उसमें मैंने आपसे पहले भी रिक्वैस्ट किया था जो आप एलओबी भेज रहे हैं उसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा

है कि किस दिन कौन सी चर्चा होनी है। तो यह तो **fortunate** बात है कि मैं पहले से रिपोर्ट पढ़ के आई थी वरना ये पहले दिन से एजेंडा तय है, फिर चर्चा किसी दिन नहीं हो रही है।

माननीय अध्यक्ष: वो तो समय की वजह से कई बार हो जाता है, नहीं तो।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष: तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि किस दिन पे किस मुद्दे पर एक्जुअली चर्चा होनी है ये आप बता दीजिए। दूसरी बात, जब कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो हमारी ये अपेक्षा रहती है कि जो **concerned minister** हैं वो उस पर ज़रूर बोलें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि जब जीएसटी के बिल पर कल **consideration** और डिबेट होगी तो जो-जो सिलसिलेवार तरीके से क्लॉज बाई क्लॉज, क्योंकि कई विपक्ष के साथियों ने इस मुद्दे को उठाया है तो आप कल ज़रूर उस मुद्दे पर बात रखिएगा। अब सीएजी रिपोर्ट पे आते हैं।

माननीय अध्यक्ष: नहीं वो तो वोटिंग में संशय नहीं कुछ होता, उसमें वोटिंग होती है।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष: नहीं वोटिंग से पहले **consideration** और डिबेट भी होगी ना।

माननीय अध्यक्ष: वो तो **consideration** पर बात करो आप।

माननीय नेता, प्रतिपक्ष: **consideration** और डिबेट भी होगा।

माननीय अध्यक्ष: हां डिबेट करिये आप।

...व्यवधान...

माननीय नेता, प्रतिपक्ष: अरे नीरज जी लम्बी गहरी सांस लीजिए।

...व्यवधान...

माननीय अध्यक्ष: देखिये, अगर मान लो, पहले यहां सही परिपाटी नहीं थी तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सदन को सही परिपाटी से चलायें। जो माननीया विपक्ष की नेता कह रही हैं वो सही इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्होंने इसका कुछ भी पालन नहीं किया था उस समय।

माननीय शिक्षा मंत्री (श्री आशीष सूद): अध्यक्ष जी दिल्ली के मालिक हम हैं की मानसिकता कभी तो खत्म होगी। अब नेता, प्रतिपक्ष ये तय करेंगी कि मुख्यमंत्री क्या कंटेंट पे बोले, किस सब्जैक्ट पे बोलें। कभी दिल्ली के मालिक हम हैं कि मानसिकता खत्म होगी दिल्ली से या नहीं होगी?

सुश्री आतिशी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): आशीष जी हम तो सिम्पल विधायक हैं। हम चाहते हैं कि जो मिनिस्टर इन्चार्ज हैं, जो बिल पेश कर रही हैं वो विधायकों को समझा दें। इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या हर्ज है? कल डिबेट होगा, मैं आशीष जी को रिस्पोंड कर रही हूँ कल डिबेट होगा हम भी बात रखेंगे, आप भी बात रखियेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली के फाइनेंसिस पे विधानसभा के पटल पे रखी गई है उस पर अभी कई सदस्यों ने बोला। मारवाह जी ने बोला। हम वैसे तो वॉकआउट कर चुके थे जीएसटी बिल पे फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल सीएम के ना बोलने पर। मारवाह जी की लेकिन बात हमने लाउंज में बैठकर पूरी तरह से वहां जो आपने टीवी लगाया हुआ है उस पर सुनी। सतीष उपाध्याय जी ने भी अपनी बात रखी। तो एक बात जो कही जा रही है कि जी अरविन्द केजरीवाल ने बहुत भ्रष्टाचार किया, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, सरकार घाटे में चली गई कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि दिल्ली को घाटे में ले गए केजरीवाल झूठ बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी सदन में झूठ बोलती थी और अब सीएजी की रिपोर्ट में आ गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में आ गया है कि अरविन्द केजरीवाल का झूठ साबित हो गया, दिल्ली की सरकार मुनाफे में नहीं चल रही थी। दिल्ली की सरकार वास्तविक तौर पे घाटे में चल रही थी ऐसा सदन द्वारा कहा गया और अगर आप रेवेन्यू रिसीट्स भी देखिए। आप चेप्टर 2 में 14 नंबर पन्ने पे 2.3.2.1 trends and growth of revenue receipt देखिए तो कहीं लगता है कि शायद भाजपा के विधायको की बात ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख भी रहा है कि जब 2022-23 में रेवेन्यू रिसीट्स 62 हजार करोड़ के आसपास थी तो 23-24 में 62,000 से 56,000 आ गई, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद कोई सत्यता हो सकती है। लेकिन ये

क्यूं हुआ ये उसकी अगली ही लाइन में जो आप सीएजी की रिपोर्ट के 14वें पन्ने पे टेबल 2.3 और मैं सभी विधायकों से आग्रह करूंगी कि माननीय अध्यक्ष जी ने क्योंकि सबको इलैक्ट्रॉनिक तरीके से रिपोर्ट उपलब्ध करा दी है तो अगर आप लोग टेबल 2.3 खोलेंगे जो **trends in revenue receipt** दिखाता है कि दिल्ली सरकार के पास पैसे कहां कहां से आये। कितने घटे, कितने बढ़े, किस मद में आये, कौन-से टैक्स से आये वो पूरा कच्चा चिट्ठा इस एक टेबल 2.3 में दिया है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि 2022-23 में और मैं कोई आंकड़े छुपा नहीं रही आप तो देख ही सकते हैं। 2022-23 में टोटल रेवेन्यू रिसीट्स दिल्ली सरकार की 62,703 करोड़ थीं। ये भी लिखा है कि 23-24 में 56,798 करोड़ हो गई तो लग रहा है कि कुछ कमी हुई। लेकिन जब आप उसमें ही थोड़ा नीचे जाइयेगा तो एक कॉलम आता है **own tax revenue** एक, दो, तीन तीसरी रॉ पर है टेबल 2.3 में। तो मैं थोड़ा-सा बता दूं कि ये ओन टैक्स रेवेन्यू क्या होती है। किसी भी सरकार के पास अलग-अलग जगह से पैसा आता है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो कुछ जो पैसा दिल्ली सरकार के पास आता है वो दिल्ली सरकार के अपने टैक्सेस से आता है। कुछ पैसा जो आता है वो केंद्र सरकार से आता है। कुछ जो दिल्ली टैक्स पे करती है दिल्ली के लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और मैं ये भी आपको बता दूं कि पूरे देश में थर्ड हाइएस्ट इनकम टैक्स अगर केंद्र सरकार को जाता है तो वो दिल्ली के लोगों से जाता है, उनकी मेहनत से जाता है, उनकी इमानदारी और बिजनेस से जाता है। तो किसी भी सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें कुछ ओन टैक्स रेवेन्यू होता है जो सरकार खुद लेकर आती है और कुछ किसी और सोर्सिस से आता है। तो जब आप ओन टैक्स रेवेन्यू देखेंगे तो इस पूरी भ्रम जो आप काफी दिन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी पूरी सच्चाई खुल जाएगी। क्योंकि अगर आप ओन टैक्स रेवेन्यू देखिए तो दिल्ली का ओन टैक्स रेवेन्यू 2021-2022 से, इन्फैक्ट पहले से भी पर हम कोरोना वाले सालों को नहीं मानेंगे। 2021-22 में दिल्ली का ओन टैक्स रेवेन्यू 40,019 करोड़ था जो 2022-23 में बढ़के 47,363 करोड़ हो गया और 2023-24 में 53,681 करोड़ हो गया। 36 परसेंट की लागत से 2021-22 में बढ़ा, 2022-23 में 18 परसेंट से और 223-24 में भी देश में हाइएस्ट टॉप थ्री में रेवेन्यू और जीएसटी की ग्रोथ दिल्ली ने दिखाई 13.34 परसेंट

के रेट से दिल्ली का जीएसटी बढ़ा। तो फिर ये सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हुआ कि दिल्ली के ऑन टैक्सेस तो बढ़े लेकिन दिल्ली का बजट कैसे घट गया। उसकी सच्चाई हमारी तरफ नहीं आप लोगों की तरफ है, केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार की तरफ है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को कभी भी इनकम टैक्स का पैसा नहीं दिया। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद मैडम आप डायवर्ट कर रहे हो।

सुश्री आतिशी: 25 हजार करोड़, नहीं मुझे दो मिनट बोलने दीजिए। 25 हजार करोड़ जीएसटी देते हैं, लेकिन दिल्ली को मात्र साढ़े आठ सौ करोड़ केंद्र से मिला है और वो भी दो सालों से उसमें से एक चवन्नी भी नहीं मिली। ये हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की सच्चाई।

माननीय अध्यक्ष: चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं, नहीं आपका हो तो गया।

सुश्री आतिशी: नहीं अभी मेरा अभी रहती है बात।

माननीय अध्यक्ष: चलिए बोलिए खत्म करिये।

सुश्री आतिशी: दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़ टैक्सेस के तौर पे केंद्र सरकार को देते हैं और वापस क्या मिलता है मात्र 851 करोड़ जो भी दो साल से 2022-23 और 23-24 में नहीं आया। महाराष्ट्रा में, महाराष्ट्रा के लोग 7.6 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। उनको 52 हजार करोड़ शेयर इन टैक्सेस मिलता है। कर्नाटका के लोग 4.5 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं उनको 45 हजार करोड़ मिलता है। दिल्ली के लोग 2.25 लाख करोड़ देते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। मैं रेखा गुप्ता जी से।

माननीय अध्यक्ष: चलिए, धन्यवाद कह दी आपने समझ में आ गई धन्यवाद। चलो शुरू करो जी श्रीमती रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए।

माननीय मुख्यमंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था विपक्ष ऐसी ही बातें कहेगा और इन्हीं के लिए वो बात कही गई है कि “तु इधर—उधर की ना बात कर, बता कि काफिला कैसे लुटा।” मैंने जब ये पूरा डाटा इक्कट्ठा किया।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए आपकी बात सुनी है ना सबने आप बैठिए, बैठिए आप। आपकी बात सब ने सुनी है ना आप उनको जवाब देने दीजिए। बैठिए, बैठिए आप। आप देखिए ये जो ठीक नहीं है। नहीं अगर मान लो सदन की नेता बोलना चाह रही हैं तो आप उन्हें बोलने नहीं देंगी। आपने पूरी बात बोली है। आपने पूरी बात बोली है। आपने पूरी बात तो बोली है क्या कमी रह गई। आपने पूरी बात बोली है। सीएजी के बाहर भी बोल लिया आपने 5 मिनट। नहीं, नहीं, नहीं दिस इज रॉन्ग। आपने कहा कि मेरा थोड़ा—सा रह गया मेरे को बोलने दीजिए। अगर आप ये आरोप लगा रही हैं इसका मतलब ये है कि आप चर्चा को नहीं होने देंगी। बैठिए आप अब, बैठिए ये झूठा आरोप लगाना चेयर पर कि मेरा माइक बंद कर दिया है ये **highly objectionable** है। इनको पूरा समय दिया गया है। पूरा इन्होंने अपनी बात कही है और 50 परसेंट बात सीएजी रिपोर्ट के बाहर की कर रही हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भी हमने इनको अलॉउ कर दिया। उसके बाद ये बात कहना और अभी ये सब लोग फिर बाहर जायेंगे, क्योंकि इनको बैठना नहीं है। तो ये तो ठीक नहीं है तरीका। आप बैठेंगे नहीं ना, आप नहीं बैठेंगे? ये आरोप लगाना पूरी बात कहकर, पूरी बात समाप्त हो गई, पूरा समय ले लिया और फिर ये आरोप लगाना माइक बंद कर दिया। ये तो गलत है। ये गलत बात है। अभी आपके पास सीएजी पर कहने के लिए कुछ है। मैं आपको और मौका दे सकता हूँ पर आप सीएजी पे बोलिये। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, रॉन्ग। चलिए। बैठिए। सदन को विपक्ष अपने गैरजिम्मेदार रवैये से, बिल्कुल **irresponsible behavior** है विपक्ष का, किसी भी चर्चा को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। नहीं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए आपका गला खराब हो जायेगा बैठिए, गला खराब हो जायेगा आपका। बात पूरी की है उन्होंने। आपने 8 मिनट बोला है, बात पूरी की है। मैंने तो आपको पूरा टाइम दिया है। आपने खुद कहा मेरी बात में थोड़ा-सा रह गया है, तौ मैंने फिर मैडम पूरी करवा दी। अब क्या रह गया? और बोलना है आपको। नहीं आपको कुछ और बोलना है, क्या बोलना है बताइये। सीएजी पर बोलेंगे। सीएजी के बाहर नहीं। सीएजी पे बोलिये। माइक खालिये इनका। बताइये सीएजी पर। बताइये सीएजी पर क्या। ये कुछ भी सीएजी में नहीं है। ये सीएजी का हिस्सा नहीं है। आप पॉलिटीकल स्पीच देने के लिए बहुत मौके आपको पॉलिटीकल। सतीष उपाध्याय जी ने पूरी बात जो है वो सीएजी पर बोली है। एक लाइन भी बाहर नहीं गए वो।

.....व्यवधान.....

सुश्री आतिशी: अध्यक्ष महोदय, जो सारे ये तो वैसे ही बात है हमारा खून, खून तुम्हारा खून पानी। वो पॉलिटीकल भाषण दें वो ठीक है। हम पॉलिटीकल भाषण दें तो वो गलत है।

माननीय अध्यक्ष: आप पॉलिटीकल दो मैंने मना नहीं किया। आपने 70 परसेंट पॉलिटीकल ही बोला है। रिपोर्ट पे तो आप बोल नहीं रहे। रिपोर्ट पे बोलो, चलिए। बताइये, आप बताइये, बताइये, बोलो आप।

सुश्री आतिशी: तो अध्यक्ष महोदय ये सच्चाई आज पूरे देश के सामने है। सभी दिल्लीवालों के सामने है कि जो सीएजी रिपोर्ट के नाम पे दिल्ली के घाटे की फाइनेंसिस दिखाये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: सीएजी में लिखा है ये तो।

सुश्री आतिशी: जी बिल्कुल, तो मैं वो ही तो बता रही हूँ। जो घाटे के फाइनेंसिस दिखाये जा रहे हैं अगर कोई उसके लिए जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है जिसने शेयर इन टैक्सेस के नाम से दिल्ली को कुछ नहीं दिया। सब राज्यों को शेयर इन टैक्सेस मिलता है। कर्नाटका को मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है, लेकिन दिल्ली को शेयर इन टैक्सेस नहीं मिलता। महाराष्ट्र को ...

माननीय अध्यक्ष: ये महाराष्ट्र का बोल चुके आप, कर्नाटक का बोल चुके आप और बताइये। अब आगे बढ़िये ना और कोई स्टेट है तो।

सुश्री आतिशी: नहीं आप ही भाषण दे दीजिए, ऐसी क्या बात है। आप ही भाषण दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: अरे तो आप स्टेट बताइये ना भई महाराष्ट्र पे बोल दिया था। कमाल है।

सुश्री आतिशी: अगर आपको ही बोलना है तो आप भाषण दे दीजिए। अगर आप मुझे दो मिनट।

माननीय अध्यक्ष: ऐसे थोड़े ही ना।

सुश्री आतिशी: आपको ही बोलना है तो आप भाषण दे दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: चलिए बताइये आगे।

सुश्री आतिशी: तो फिर शांति से एक मिनट में बोल लूंगी तो बात ही खत्म हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष: महाराष्ट्र के आगे बढ़िये ना। महाराष्ट्र के आगे बढ़िये।

सुश्री आतिशी: तो आप शांति तो रखेंगे आप सब लोग। अब मैं मात्र दो मिनट बोलूंगी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अध्यक्ष जी।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष: मतलब सत्तारूढ़ दल आराम से बैठा है, आपका नेता बोल रहा है और आप ही शोर मचा रहे हो। मतलब ये देखिए आप शालीनता। मतलब आप अपने ही नेता को ही नहीं बोलने दे रहे। बैठिए आप, बैठिए आप, बैठिए, बैठिए, चलिए।

सुश्री आतिशी: दिल्ली की जो इकॉनमी है। दिल्ली की इकॉनमी ने अगर आप सीएजी की रिपोर्ट देखिए तो लगातार buoyancy दिखाई है। Govt. of NCT of Delhi की ऑन टैक्सिस टेबल 2.3 का लास्ट रो Govt. of NCT of Delhi ने जो टैक्सिस कलेक्ट किये हैं दिल्ली की जीएसडीपी की तुलना में उसमें buoyancy रही है। इसका मतलब ये है कि जितनी जीएसडीपी की ग्रोथ हुई, जितनी दिल्ली की इकॉनमी की ग्रोथ हुई उससे ज्यादा टैक्सिस दिल्ली

सरकार ने लगातार पिछले तीन सालों से इक्कट्ठा किया। दिल्ली ने जितना इनकम टैक्स दिया है वो बढ़ा है। दिल्ली के लोग सवा दो लाख करोड़, दो लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्सिस।

माननीय अध्यक्ष: ये फिर आप रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रही हैं आप। बातें सारी रिपीट कर रही हैं आप।

सुश्री आतिशी। सवा लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्सिस देते हैं और मेरी ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं आप लोगों की चार इंजन की सरकार भी है। दिल्ली का जो हक कि दिल्ली को अपना शेयर इन टैक्सिस मिलना चाहिए। मेरा आपसे ये आग्रह है कि दिल्ली को आने वाले साल के बजट में 50 हजार करोड़ शेयर इन टैक्सिस आप केंद्र सरकार से दिलवा के लेके आइये दिल्ली के लोग आपको हमेशा याद रखेंगे कि आपने दिल्ली को उसका हक दिलवाया।

माननीय अध्यक्ष: अब और तो नहीं कुछ बोलना आपको, हो गया ना आपका। नहीं मैंने कहा मैंने माइक अभी भी खुला छोड़ा हुआ है आपका। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: एक सैकेंड।

सुश्री आतिशी(माननीय नेता प्रतिपक्ष): पानी पीकर आ रही हूं मैं अभी।

माननीय अध्यक्ष: हां—हां—हां—हां।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: नहीं पानी अंदर नहीं आयेगा।

माननीया मुख्यमंत्री(श्रीमती रेखा गुप्ता): पानी पिलाओ भई मैडम को।

माननीय अध्यक्ष: नहीं—नहीं इधर नहीं मैडम प्लीज़।

....व्यवधान....

माननीया मुख्यमंत्री: मुझे शत-प्रतिशत मालूम था शत-प्रतिशत कि जब मैं सदन का समय नहीं खराब करना चाहती, मुझे केवल उनको नहीं सुनाना आप बैठे हो ना उनके रिप्रजेन्टेटिव, मुझे इन्हीं शब्दों में ये पता था कि जब ये सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी या तो विपक्ष भाग जायेगा और या फिर या फिर या फिर एक ही रास्ता वो निकालेंगे कि अरे हमें तो केन्द्र ने ग्रांट नहीं दी, हमें तो पैसा नहीं दिया इसके लिये। अरे तो केन्द्र ने कहा था जितनी चादर है उतने ही पैर पसारते भईया। क्यों चादर बड़ी कर ली, किसने कहा था, किसने कहा था कि ग्रांट को आप, जो टोटल ग्रांट थी वो अड़तालीस सौ करोड़ रुपये की ग्रांट, अड़तालीस सौ करोड़ रुपये की ग्रांट वो आपने बांटी अड़तालीस सौ चालीस करोड़ रुपये की, फ्री पानी चार सौ तरेसठ करोड़, फ्री बसें चार सौ बयासी करोड़, फ्री बिजली बत्तीस सौ पचास करोड़, डॉक्टर ने बताया था भईया, चुनाव का टूल था, चुनाव का टूल था और कहते थे थे, दिखाते थे थे जैसे अपनी जेब में से दे रहे हों..

....व्यवधान....

माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी ये अगर बीच में बोलेंगे तो मेरे लिये मुश्किल है।

माननीय अध्यक्ष: हां-हां, नहीं-नहीं कोई बात नहीं मैं अभी।

माननीया मुख्यमंत्री: दिखाते थे थे कि अपनी, अपनी।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: अगर कोई अपनी सीट पर बैठकर बोल रहा है तो अनुशासनहीनता है और कार्रवाई के लिये तैयार रहे। बैठिये-बैठिये आप, बैठिये, आप बैठ जाईये, आप बैठ जाईये, बैठ जाईये आप करिये शुरू करिये, शुरू करिये।

माननीया मुख्यमंत्री: ये लोग दिखाते थे थे जैसे कि अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से हमने फ्री दे दिया, हमने फ्री दे दिया, अरे भई जनता की एक जेब में से निकाला दूसरी में डाल दिया। जनता को थोड़े ही ना मालूम था कि उन्हीं के पैसे के बदले में आप फ्री दे रहे हैं। वो सोचते थे कि सड़क बनेगी, सड़क नहीं बनी आपने ये दिखा दिया कि हमने

तो आपको पानी फ्री दे दिया। वो सोचते थे कि स्कूल और हॉस्पिटल बनेंगे स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बने आपने कहा हमने बदले में बिजली दी है ना तो फिर स्कूल और हॉस्पिटल कैसे बनेंगे। वो सोचते थे मेरी सीवर लाइन बनेगी, मेरे घर तक पानी पहुंचेगा पर इन्होंने नहीं किया क्योंकि फ्री किया। आज ये जो सीएजी की रिपोर्ट है ये साफ—साफ कहती है कि किस तरीके से, किस तरीके से सारा पैसा टैक्स का जितना भी रेवेन्यू था सरकार का पूरी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में चला गया यानि तनखाह, यानि ब्याज, यानि की वो खर्चे जिसका कोई भी **asset value** नहीं है। आपने कभी भी कैपिटल एक्सपेंडीचर करने की ना इच्छा थी, ना सोचा था। अपने आपको ईमानदार और जन हितैशी सरकार दिखाने की जो कोशिश आपने जनता के पैसे में की इस सीएजी रिपोर्ट में साफ—साफ पूरा का पूरा चिट्ठा आपका खुलता है। किस तरीके से **revenue surplus, fiscal deficit** बन गया, किस तरीके से 2022—23 की दिल्ली की जो **revenue surplus** थी चार हजार पांच सौ छियासठ करोड़ रुपये वो आपने सब **revenue expenditure** में खर्च कर डाली और जब 23 और 24 आया तो उल्टा घाटे में चले गये। तीन हजार नौ सौ चौंतीस करोड़ का घाटा दोनों को जोड़कर अगर देखा जाये छियासी सौ करोड़ का घाटा आपने 23—24 में दिया, 23—24 में दिया एक सौ छियासी प्रतिशत, एक सौ छियासी प्रतिशत की **revenue surplus** का घाटा आपने दिखाया और पूरी तरीके से **capital expenditure** में एक भी राज्य का **asset** खड़ा नहीं किया। आपने पब्लिक हैल्थ में **capital expenditure** में पचास प्रतिशत की गिरावट करी, पचास प्रतिशत की! वो 24 अस्पताल जो शुरू किये गये थे आज तक अधुरे पड़े हैं। वो एजुकेशन, वो **sports** उसमें आपने बयालीस प्रतिशत का गिरावट हुई आपके **capital expenditure** में। सड़क निर्माण में पीडब्ल्यूडी में चालीस प्रतिशत की गिरावट हुई आपने बंद कर दी। कोई सड़क इतने सालों में बनाई नहीं, कोई फ्लाई ओवर बनाया नहीं।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाईये, बैठ जाईये, मार्शल्ल्स अनिल झा जी को बाहर ले जाईये, अनिल झा जी को बाहर ले जाईये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चलिये—चलिये। आपका नम्बर है अगला बता दिया मैंने, चलिये—चलिये।

....व्यवधान....

माननीया मुख्यमंत्री: और अर्बन डेवलपमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में छत्तीस प्रतिशत, छत्तीस प्रतिशत कम खर्चा मतलब की पूरी तरीके से डेवलपमेंट को दिल्ली के डेवलपमेंट को आपने नेस्तनाबूत कर दिया, कमाई घटी खर्चा बढ़ा और उसके नाम पर आपने दिल्ली को ठगा, सारा खर्चा हुआ कहां? सब्सिडी गई चलो जनता पर चली गई, विकास नहीं हुआ तो नहीं हुआ परन्तु विज्ञापन पर पैसा कितना टका टक हुआ ये दिल्ली ने देखा। किस तरीके से आपने नई—नई स्कीम निकालकर के कि हमने तो इस पर खर्चा कर दिया, हमने तो उस पर खर्चा कर दिया, मैं बताना चाहती हूं जिस शहर की बात वो कर रही थी पहली बात तो दिल्ली जो है वो किसी भी तरीके से।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: मार्शल्ल्स कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जाईये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बाहर, चलिये बाहर।

माननीया मुख्यमंत्री: सुन नहीं सकते ये इनके बारे में,

“वो खज़ाना लूटकर मशहूर हो गये,

हम सवाल पूछें तो मगरूर हो गये,

वो खज़ाना लूटकर मशहूर हो गये,

हम सवाल पूछें तो मगरूर हो गये।”

ये हाल है इनका दिल्ली को लूट-लूटकर के इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि दिल्ली का ये हाल जो किया सरकार के पैसे से, कहते हैं ग्रांट नहीं मिली, कहते हैं केन्द्र ने पैसे नहीं दिये। मैं वो चिट्ठा बताना चाहती हूँ जब-जब केन्द्र ने इनको पैसे दिये तो इन्होंने क्या किया। दिल्ली सरकार को केन्द्र ने 2009 के बाद से लगातार, इन्होंने state agency में दो हजार नौ करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया SNA में जो कि स्टेट के कामों के लिये दिया गया था।

माननीय अध्यक्ष: आप शांत रहिये, आपको उन्होंने सुना ना वो बोलीं एक बार भी, आप सुनिये-सुनिये-सुनिये।

माननीया मुख्यमंत्री: परन्तु 31 मार्च, 2024 तक भी आठ सौ बयालीस करोड़ रुपये इन्होंने खर्च नहीं किये। जब केन्द्र सरकार ने पीएम जयभीम योजना के तहत चौबीस सौ करोड़ रुपये दिल्ली को दिये इन्होंने एक रुपया भी जनता के हित में उन्हें लगाया नहीं जिसमें हॉस्पिटल बनने थे, जिसमें हमारे आयोग्य मन्दिर बनने थे, इन्होंने उस पैसे में से जनता के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया, क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि उसमें पीएम शब्द जुड़ा था। ये है इनका अहंकार जिसके कारण से इन्होंने दिल्ली की जनता का नुकसान किया। जब केन्द्र ने इकनॉमिक हाउसिंग के लिये पैसे भेजे तब इन्होंने जनता पर उसे खर्च नहीं किया। जब केन्द्र ने नेशनल आयुष मिशन के तहत पचास करोड़ रुपये सालाना देने की बात कही तो इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। जब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फंड दिया गया तब इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया केन्द्र को सीधा जनता तक देना पड़ा। जब पीएम श्री स्कूल के लिये केन्द्र ने पैसे दिये, जब पीएम स्वनिधि योजना के लिये केन्द्र ने पैसे दिये तब भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: बैठिये-बैठिये मार्शल्स प्रेम कुमार को बाहर ले जाईये, बाहर ले जाईये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: चलिये, ये मत समझिये कि आपकी वजह से उनका भाषण रुक जायेगा, वो पूरा होगा और शांति में होगा, ये ध्यान रखिये आप।

माननीया मुख्यमंत्री: फिर केन्द्र ने, फिर केन्द्र ने, अरे जो, जो मैडम ने पूछा वो बता रही हूं मैं।

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाईये बैठिये आप। बैठिये, मार्शल्ल्स सोम दत्त जी को बाहर ले जाईये। ऐसे नहीं बैठिये बाहर, आप बोले ना बैठिये, चलिये।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्ल्स द्वारा माननीय सदस्यों श्री अनिल झा, श्री कुलदीप कुमार, श्री प्रेम कुमार व श्री सोम दत्त को सदन से बाहर किया गया।)

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: ये विपक्ष की ये नीति बहुत ही गलत है कि जब वो खुद बोलते हैं पूरा सत्तारुढ़ दल चुप रहता है जब नेता सदन बोलती हैं तो ये उनको बोलने नहीं देते ये गलत बात है।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: अब आप बैठिये, बैठिये आप।

माननीया मुख्यमंत्री: केन्द्र ने।

माननीय अध्यक्ष: दिक्कत क्या है आपको, आपको दिक्कत क्या है, बैठिये।

माननीया मुख्यमंत्री: केन्द्र ने अमृत योजना में पैसे भेजे, केन्द्र ने यमुना सफाई के लिये पैसे भेजे यहां तक की इतने ना यमुना की सफाई हुई ना कूड़े के पहाड़ हटाये इन्होंने, केन्द्र ने एक-एक योजना के लिये पैसे दिये और यहां तक कि तीन हजार सात सौ साठ करोड़ रुपये जोकि तेहरा सौ तेहरा ग्रांट के रूप में, तेहरा सौ तेहरा ग्रांट के रूप में दिया गया उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने जमा नहीं कराया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कराया।

....व्यवधान....

माननीया मुख्यमंत्री: केन्द्र की, केन्द्र ने मैट्रो लाई जिसमें पचास—पचास परसेंट शेयर देना होता था उसके पैसे इन्होंने कभी नहीं दिये, कोर्ट ने फटकार लगाई इन्होंने कभी मैट्रो के पैसे नहीं दिये, इन्होंने कभी ये जो हमारे जितने रोड़ बने जिन्हें NHAI ने बनाये उसमें state share कभी नहीं दिया, ये हमेशा कोर्ट की फटकार के बावजूद भी वो शेयर जो स्टेट को देना चाहिये था कभी केन्द्र को एक रुपया इन्होंने नहीं दिया। उसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी केन्द्र ने compensation cess का 2017—18 से लेकर के 2024—25 का बावन हजार करोड़ रुपये, साथियों बावन हजार करोड़ रुपये इन दिल्ली सरकार को केन्द्र ने दिया, केन्द्र ने दिया। खा गये, बावन हजार करोड़ रुपये खा गये आज तक, आज तक उसका utilization certificate इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष: बैठिये—बैठिये— बैठिये।

माननीया मुख्यमंत्री: सारा पैसा, सारा पैसा इन्होंने, सारा पैसा इन्होंने जनता का डकार लिया, सारा पैसा जनता का डकार लिया, सारा पैसा जनता का डकार लिया, देखिये फिर भी ये कहते हैं कि इनके बारे में बोला ना जाये, फिर भी ये कहते हैं।

....व्यवधान....

माननीया मुख्यमंत्री: ज्यादा चिंता ना कीजिये, ज्यादा चिंता ना कीजिये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: कोई बात नहीं ।

माननीया मुख्यमंत्री: ज्यादा चिंता ना कीजिये।

माननीय अध्यक्ष: मैडम पानी, ये कह रहे हैं पानी मत पियो आप बोलते हुये, अगर मान लो गला रुक गया उनका, रहने दो मत पीजिये प्लीज, ठीक है मतलब अगर उनका इमरजेंसी हो गई कुछ।

माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष जी अगर।

माननीय अध्यक्ष: अरे बोलते हुये अगर इमरजेंसी हो गई तो, सांस रुक जाये चाहे।

....व्यवधान....

माननीया मुख्यमंत्री: बारापुला नाले पर।

माननीय अध्यक्ष: नहीं आप बोलने के बाद गये हैं आप, बोलते हुये अगर आपको जरूरत पड़ जाती।

माननीया मुख्यमंत्री: बारापुला नाले की बात।

माननीय अध्यक्ष: नहीं बैठिये आप।

माननीया मुख्यमंत्री: यहां पर हुई, ये जानबुझकर डिस्टर्ब कर रहे हैं ये सुन नहीं सकते इनकी करतूतों के बारे में।

माननीय अध्यक्ष: अरे बोल तो लो इमरजेंसी हो जाये, क्या करे आदमी?

माननीया मुख्यमंत्री: कैसे सुनेंगे, ऐसा काम किया इन्होंने।

माननीय अध्यक्ष: आप बिना बोले बिना बोले क्या है अब, बैठिये अब, बैठिये।

माननीया मुख्यमंत्री: जनता के विश्वास पर आघात किया है, कैसे सुनेंगे।

....व्यवधान....

माननीया मुख्यमंत्री: वादों के सिक्के फेंकते रहे। इन्होंने कभी, मुझे लगता नहीं है अध्यक्ष जी ये सुन सकते हैं। चौबीस हॉस्पिटल जो इन्होंने अधूरे छोड़े जिसके ऊपर चौतीस सौ सत्ताईस करोड़ रुपये की लागत लगी आज, आज भी उसकी कॉस्टिंग जो है सत्ताईस सौ करोड़

रुपये बढ़ गईं केवल इनके कारण से क्योंकि इन्होंने वो काम अधूरे छोड़े। बारापुला की बात माननीय सदस्यों ने कही एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपये उस कम्पनी को दिये गये जो बारापुला बना रहा था वो इसलिये कि उन्होंने काम ना करने के नाम का, काम ना करने के नाम का, काम ना करने के नाम का एक सौ पचहत्तर करोड़ रुपये का फाइन सरकार ने भरा उनको, कितने शर्म की बात है। उसके बाद शीश महल पर अस्सी करोड़ रुपये का खर्चा इन्होंने किया।

....व्यवधान....

माननीया मुख्यमंत्री: जय भीम, जय भीम योजना पर डेढ़ सौ करोड़ रुपये, डेढ़ सौ करोड़ों रुपये लोगों के इन्होंने खाये, डेढ़ करोड़ रुपये इन्होंने खाये।

माननीय अध्यक्ष: बैठ जाईये, बैठिये—बैठिये।

....व्यवधान....

माननीय अध्यक्ष: अरे आपने बोला तो, अरे आपने जो बोला वो उसका रिप्लाय नहीं करेंगी क्या, बैठिये आप, आप बोलेंगे और रिप्लाय ना आये।

माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: सरकार आपकी बात को रिप्लाय कर रही है सरकार करेगी रिप्लाय, सरकार रिप्लाय करेगी, बैठिये आप।

....व्यवधान....

माननीया मुख्यमंत्री: अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहती हूँ ये चिट्ठा, ये चिट्ठा जोकि दिल्ली सरकार को केन्द्र ने दिल्ली सरकार को केन्द्र ने कब—कब कितना रुपया दिया मैं बताना चाहती हूँ।

.... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मार्शल्ल्स जरनैल सिंह जी को बाहर ले जाइये।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्ल्स द्वारा श्री जरनैल सिंह जी को 5.28 बजे सदन से बाहर किया गया)

(विपक्ष के बाकी बचे सदस्यों द्वारा सदन से वॉक आउट किया गया।)

माननीय मुख्यमंत्री: मैं बताना चाहती हूं। ये वो लोग हैं, जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता के पैसे से अय्याशी की। ये वो लोग हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से अय्याशी की। ये वो लोग हैं, बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे तुमने अय्याशी की।

.... व्यवधान

माननीय मुख्यमंत्री: जनता का पैसा खा गए। अध्यक्ष जी, मैं इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है इसको भेजा जाए पीएसी में और इनके बारे में एक बात कह करके समाप्त करना चाहूंगी कि।

.... व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: अरे किसी ने कोई नाम नहीं लिया, कोई नाम नहीं लिया।

माननीय मुख्यमंत्री: ये सुन नहीं सकते इनको बोलना ही है कि 'वादों के सिक्के फैंकते रहे बाजार में, वादों के सिक्के फैंकते रहे बाजार में, ईमान बिकता रहा, ईमान बिकता रहा और इनकी सरकार में ईमान बिकता रहा इनकी सरकार में।

.... व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम लिया है क्या? अरे वो इन्होंने किसी को पर्टीकुलर को बोला है क्या, पर्टीकुलर को नहीं बोला कुछ भी।

माननीय मुख्यमंत्री: जनता तो देखती रही उम्मीद से इनकी ओर, जनता तो देखती रही उम्मीद से इनकी ओर और लुटता रहा खजाना, लुटता रहा खजाना, अखबारों में ये छपते रहे, अखबारों में ये छपते रहे। अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा जाए। पीएसी में भेजा जाए और कार्यवाही होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। इनकी रिपोर्ट पीएसी में जानी चाहिए इतना मैं कहना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य अब सीएजी की दूसरी रिपोर्ट भवन एवं निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन पर चर्चा शुरू हागी, नाम दीजिए। माननीय सदस्य, हां जी।

.... व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: अरे आपने बोला है सारा आपका रिप्लाय तो किया है। आप अपना भाषण, मैं आपका भाषण निकलवाऊं।

.... व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: आप, हां तो आपने आंकड़े दिए ना।

.... व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: ये सीएजी रिपोर्ट में कहाँ था, केन्द्र से पैसा मिलने की बात कहाँ कही थी? चलिए कोई नहीं, अब शुरू करेंगे माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी।

.... व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, डिप्टी स्पीकर कुछ कहना चाहते हैं। हां बोलिए क्या कहना है।

श्री मोहन सिंह बिष्ट: सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का सदन के नेता उठकर खड़े हैं या स्पीच देते हैं, उस समय में विपक्ष को आराम से उनकी बात को सुनना चाहिए और नहीं तो तुरंत उन पर यदि इसका कैबिनेट का कोई भी मंत्री यदि रिजोल्यूशन ले आता है तो तुरंत इनको बाहर कर देना चाहिए यह मेरा निवेदन है।

रामसिंह जी, रामसिंह जी एक मिनट, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ रामसिंह जी। रामसिंह जी, ये सदन की एक मर्यादा है। सदन के अंदर सत्ता पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा लेकिन हम सब की लीडर सदन की चीफ मिनिस्टर होती है। यदि चीफ मिनिस्टर बोलती है तो मेरे को लगता है सबको बैठ जाना चाहिए और नहीं तो एक बात और सुन लीजिए। यदि सत्ता पक्ष के किसी मिनिस्टर ने यदि नोटिस में ले आया कि साहब इनको तो तुरंत बाहर का रास्ता भी दिख सकता है ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हां ये है सदन का निर्णय।

.... व्यवधान

माननीय अध्यक्ष: चलिए नेता जी, हां नेता रामसिंह जी।

.... व्यवधान

श्री राम सिंह नेताजी: मैं अध्यक्ष जी, एक मिनट—एक मिनट। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। मैं अध्यक्ष जी वही बात कहना चाहता हूँ, दो बार पहले हम सदस्य रहे हैं पार्टी यहां सब लोग पुराने लोग बैठे हैं, हमें संयम से काम लेना चाहिए। मैं अपने वालों से प्रार्थना करता हूँ कि जब सदन की नेता बोल रही हों तो कोई बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सदन की जो नेता है, यह परंपरा रही है।

माननीय अध्यक्ष: यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री राम सिंह नेताजी: हमें सीखना चाहिए यह मेरी प्रार्थना है परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी एक कमेटी बने जो चार—पांच आदमी इधर से हों, चार—पांच उधर से हों और यह तय हो जाए कि भई इस पर चर्चा होगी, इस पर नहीं होगी और यह जो दिल्ली देख रही है, जो कुछ हो रहा है सदन में वह लोग देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यह समझे लोग नहीं देख रहे हैं, जनता देख रही है। और देखो जब तक हम काम की बात नहीं करेंगे ये सब कुछ हमारे खिलाफ जाएगा और सबको अनुशासन में रहना चाहिए ये मेरी पार्टी वालों से भी अनुरोध है कि मुझे पता है यह पार्टी उससे आई है क्रांति से सर विपक्ष तो देखा ही नहीं इन्होंने। भई असली बात तो ये है। तो ये हमारे भाई भी ये

है कि भई ये असली संयम से काम लें, मैं इनसे भी प्रार्थना करूंगा। अध्यक्ष जी आपने मुझे मौका दिया तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट देखिए, आप अगर तैयार हो 8-9 बजे तक बैठने के लिए तो सब बोलो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैठ सकता हूँ लेकिन आप चर्चा एक मिनट बोलिए बस।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: अध्यक्ष जी, जो परंपरा शुरू की है इन्होंने। मुख्यमंत्री जब बोलती है और ये हाउस की मर्यादा की बात होती है और मतलब विपक्ष वाली खुद ही सबको उकसाती है सबसे बड़ी बात है। हमने देखा है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। मतलब यह है कि ये परंपरा अच्छी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: बैठिए।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: मैंने पहले ही कहा है यह अच्छी नहीं है नहीं तो हम बोलने नहीं देंगे और उठा- उठाकर न बाहर फेंक देंगे अगर आप ऐसे करेंगे तो। पहले कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बोलेगी तो इनको चुप रहना पड़ेगा। अगर जब मुख्यमंत्री समाप्त कर दे, क्योंकि वो हमारी नेता है, दिल्ली की नेता है, यह मैं बताना चाहता हूँ अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए अब आप।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: और दूसरी बात जो है, अब इनके जलन क्या हो रही है।

माननीय अध्यक्ष: अभी आपको मौका आएगा।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाह: क्योंकि मुख्यमंत्री काम कर रही है। इनको कोई पूछ नहीं रहा इसलिए ये जल रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूँ अगर ये नहीं माने तो हम दूसरी तरह मनाएंगे ये मैं बताना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, अब चर्चा को शुरू करेंगे माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी।

श्री अशोक गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने सीएजी की रिपोर्ट **building and other construction worker** पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सीएजी की रिपोर्ट न केवल चौंकाने वाली है बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली यह रिपोर्ट है। ये सीएजी की रिपोर्ट 2019-20 से 22-23 के बीच दिल्ली सरकार के द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर खर्च का और व्यवस्था का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है अध्यक्ष जी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई थी, इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किए थे कि हम मजदूरों को पेंशन देंगे, बीमा देंगे, शिक्षा देंगे, इलाज देंगे। लेकिन इनकी हकीकत अगर देखनी है तो यह चीख-चीख कर सीएजी की रिपोर्ट जो **building and other construction worker** पर है वो अध्यक्ष जी वो कह रही है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 6,96,000 रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को रजिस्टर किया। लेकिन उसमें से सिर्फ 1,98,000 लोगों का डाटा उपलब्ध करा पाई और उसमें से भी 1,98,000 में से भी 1,19,000 वर्कर्स के फोटो थे और वो फोटो दो-दो जगह इस्तेमाल किए हुए थे 2,38,000 पर यानी के चेहरे पर चेहरा। यह इनकी हकीकत है कि दिल्ली को इन्होंने अलग-अलग चेहरे बनाकर बेचा। कहीं पर बेचारा बनकर, कहीं पर दिल्ली का मालिक बनकर दिल्ली को इन्होंने लूटा। इस दिल्ली को किसी जमाने में बाबर ने लूटा, किसी जमाने में अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा और उसके बाद कांग्रेस ने लूटा और पिछले 11 वर्षों में अध्यक्ष जी ये सीएजी की रिपोर्ट चीख-चीखकर कह रही है कि इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने लूटा। क्योंकि एक ही चेहरे का फर्जी दस्तावेज़ बनाकर इन लोगों ने जो गरीब मजदूर, गरीब मजदूर जो कि आज दिल्ली की गगनचुंबी हम इमारत देख रहे हैं, दिल्ली के फ्लाईओवर देख रहे हैं, दिल्ली की चमचमाती हुई सड़कें देख रहे हैं, दिल्ली की यह ये मेट्रो देख रहे हैं, ये जो वर्कर थे जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से ये दिल्ली बनाई हैं उनके हकों को लूटने का काम इन लोगों ने किया है। ये, ये श्रमिक नहीं, ये हमारी दिल्ली की आत्मा है अध्यक्ष जी। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है अध्यक्ष जी के 2019 से लेकर और 2023 तक 3500 करोड़ रुपए

तक का सैस मजदूरों के नाम पर जमा हुआ। और जो यह 3500 करोड़ रुपए जमा हुआ, बोर्ड और जो डिस्ट्रिक्ट का जो मिलान करने पर 204 करोड़, 95 लाख रुपए का घालमेल है। आज तक नहीं मिला है। ये 204 करोड़ रुपए कहां गए? ये 204 करोड़ रुपए कौन खाकर चला गया? इसका भ्रष्टाचार का जवाब ये सीएजी रिपोर्ट की जांच में माननीय अध्यक्ष जी होना चाहिए कि 3500 करोड़ रुपए इक्ठ्ठा हुआ और 204 करोड़ रुपए का अभी तक आज तक हिसाब नहीं। और ये जो 3500 करोड़ रुपए दिल्ली के श्रमिकों पर खर्च किया जाना चाहिए था केवल 9.5 से लेकर 11.3 परसेंट ही खर्चा किया गया। ये कितना बड़ा विश्वासघात इन्होंने दिल्ली के गरीबों के साथ किया है। ये लोग अभी बात कर रहे थे कि झुग्गी तोड़ दी गई। झुग्गी के बारे में यह बात कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए बात कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में कौन रहता है? दिल्ली का गरीब आदमी रहता है। दिल्ली का कंस्ट्रक्शन लेबर रहता है। आज 3500 करोड़ रुपए जो उनके लिए आए थे, इन्होंने उसको खर्च नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी के ये जो 3500 करोड़ रुपए श्रमिकों के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, किसी हमारी गरीब जो कि श्रमिक थी उसके गर्भ-धारण पर, गर्भपात होने पर, उनको पेंशन देने पर 3000 रुपए महीना पेंशन देने पर, घर का अगर कोई निर्माण करना चाहता है उसके लिए निर्माण के लिए या खरीदने पर लोन देने पर ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर कोई उपकरण खरीदना चाहता है उसके लिए देना चाहिए था। अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर का देहांत हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार पर बीमा पालिसी पर Disability Pension, Permanent Disability Pension, Financial Assistance For Education, Financial Assistance हमारे गरीब मजदूर की बेटी की शादी होने पर और awareness camp लगाने पर के मजदूरों को इन योजनाओं का कैसे फायदा मिलेगा। लेकिन इन्होंने awareness camp क्या लगाया। अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया और ये जो 6,98,000 वर्कर जिनको अभी इन्होंने 11 परसेंट पैसा खर्च किया है ये सारे के सारे ये दिल्ली के लेबर

नहीं थे अध्यक्ष जी ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ॉड दिल्ली के इन गरीब लोगों के साथ मिलकर किया है

(समय की घंटी)

श्री अशोक गोयल: इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए अध्यक्ष जी। इन्होंने 2018-19 से लेकर और 2022 तक 46 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 58,000 लोगों को देनी चाहिए थी वो भी जब केंद्र सरकार ने इनको आग्रह किया तो 18-19 की जो राशि है वो 2022 में जारी की। यह बड़ा पाप किया है इन लोगों ने। क्या यही पार्टी की संवेदनशीलता हैं? क्या ये हमारी पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर जो बैठी हैं, गरीबों की बात करती हैं, अपने आपको गरीबों का मसीहा बताती हैं, इस तरह के गरीबों के पैसे को रोकना, उनको रिलीज नहीं करना ये बहुत ही गलत काम इन लोगों ने किया है।

(समय की घंटी)

श्री अशोक गोयल: भारत सरकार ने इनको कहा कि मज़दूरों के लिए आवास बनाने के लिए, मोबाईल शौचालय बनाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए, लेकिन इन्होंने दिल्ली सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया अध्यक्ष जी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए कहा ताकि मज़दूरों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इनको प्रधानमंत्री जी के नाम का फोबिया था कि प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं आना चाहिए चाहे दिल्ली के जो गरीब लोग हैं, उनको योजना का लाभ ना मिले, लेकिन प्रधानमंत्री के कारण इन्होंने योजना का लाभ उनको नहीं दिया। ये मज़दूर सिर्फ केवल वोट बैंक नहीं हैं अध्यक्ष जी। मैं माननीय विपक्ष के सब लोग चले गए ये दिल्ली की नींव है। ये दिल्ली की आधार हैं और केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन खर्च किया और इनके खून और पसीने की किसी तरह से कोई परवाह नहीं की। यह केवल लापरवाही नहीं है अध्यक्ष जी निर्माण श्रमिकों के जीवन से खिलवाड़ है। ये केवल आंकड़ों का घपला नहीं है अध्यक्ष जी, ये गरीबों की भावनाओं का शोषण है। ये केवल प्रशासनिक चूक नहीं है अध्यक्ष जी, ये नैतिकता का पतन है। इन

लोगों ने जो गरीबों के मजदूरों के साथ जो छल किया है, यह सदन भी याद रखेगा और दिल्ली की जनता भी याद रखेगी अध्यक्ष जी। मैं जो इस सीएजी की रिपोर्ट पर माननीय मंत्री जी से और अध्यक्ष जी मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा श्रमिकों का डाटा है इसको डिजिटल किया जाना चाहिए और इसको bio-matric से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। इस छह लाख, अठानवे हजार श्रमिकों में से छह लाख में से जो रियल श्रमिक हैं, वह आएंगे और जो प्रवासी इन्होंने बाहर के लोगों को भी adjust कर दिया, अपने कार्यकर्ताओं को भी adjust कर दिया। यह सारा धोखाधड़ी लोगों के सामने आएगा और यह जो पैंतीस सौ करोड़ रुपया cess के अंदर जमा है, इसको भी जो सरकार ने सत्रह योजनाएं बनाई हुई है, उनके ऊपर जल्द से जल्द खर्च करना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली के मजदूरों के आंखों में आंसू दिए हैं, उनके अधिकार छीने हैं और अब रेखा गुप्ता जी की सरकार है। अब उनको न्याय देने का समय आ गया अध्यक्ष जी। इन्होंने दिल्ली के अंदर इन गरीब लोगों के लिए आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया। इन लोगों ने 'जहां झुग्गी वहां मकान' लागू नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने चाहे वह जेलर वाला बाग हो, कालकाजी हो, नरेला हो, हर जगह पर.....

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक्यू। बस थैंक्यू जी।

श्री अशोक गोयल: पर इन लोगों को मकान दिया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, बीमा योजना और सुरक्षा योजना

माननीय अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा जी। समय का सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर यह एजेंडा पूरा नहीं होगा।

श्री कुलवंत राणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित सदस्यगण आज ये आठवीं सीएजी की रिपोर्ट और आज सदन में मैं विपक्ष के लोग हमारी विपक्ष की साथी पहली रिपोर्ट पर आज ये सदन में इन्होंने आज भागीदारी अपनी अदा करी नहीं तो हर बार पहले से ही वॉक आउट कर देते थे, सीएजी रिपोर्ट आई और भाग जाते थे।

माननीय अध्यक्ष: चले तो गए। ये असली रिपोर्ट जब आई है सामने तो चले गए।

श्री कुलवंत राणा: आप लेकिन कुछ तो रिपोर्ट सुनी उन्होंने उसमें नेता विपक्ष ने भी हिस्सा लिया। तो यह पहली बार हुआ ये तो उन्होंने आज साहस दिखाया अपनी बुराई सुनने का और फिर भी उनकी आदत है कि उनका नियम है सिस्टम बना रखा है कि हमने वॉक आउट करना है कैसे करना तरीका है प्लानिंग है उनकी। बट आज उन्होंने सुना। माननीय अध्यक्ष जी जो बोर्ड बनाया बोर्ड हरेक प्रकार के हम बोर्ड बनाते हैं विभिन्न-विभिन्न प्रकार के सरकारें अलग अलग वर्गों के कल्याण के लिए और सारी सीएजी रिपोर्ट ये आठवीं रिपोर्ट्स है कोई एक रिपोर्ट सरकार के प्रति यह नहीं बताती कि सजगता के साथ इस सरकार ने काम किया हो, गंभीरता से काम किया हो, संवेदनशील होकर के काम किया हो। हर विभाग में अनुभवहीनता दर्शाई दिखाई। अनुभवहीनता के कारण इन लोगों ने दिल्ली को चौपट कर दिया। हर विभाग को चौपट कर दिया। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 बना और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 भारत सरकार द्वारा भी एक महान दृष्टिकोण के साथ बनाए गए उपकर संग्रह के माध्यम से इसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करना था जो ये लोग नहीं कर पाए। दिल्ली ने सितंबर 2002 में दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली 2002 के तहत अपना बोर्ड गठित किया। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था कि निर्माण लागत पर एक परसेंट उपकर एकत्र करना और इन निधियों का उपयोग 17 कल्याणकारी योजनाओं में करना जिनमें मातृत्व लाभ, पेंशन, शिक्षा सहायता, चिकित्सा सहायता, और आवास ऋण शामिल एक सरल जनादेश निर्माण से लाभ कमाते हैं उनसे पैसा। जो कम्पनियां बनाते हैं उन कम्पनियों वालों से पैसा लेते हैं एक परसेंट cess लेते हैं और उन मजदूरों के कल्याण के लिए उस पर पैसा खर्च किया जाता है ताकि वह मजदूर का बच्चा पढ़ सके और उस को कोई दिक्कत कठिनाई आ जाए, चोट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, तो उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। आवास नहीं है तो उसको एक आवास मिल जाए। सभी जो योजनाएं

एक मानव कल्याण की होती हैं उन सभी योजनाओं का लाभ वो ले करके एक अच्छा नागरिक के रूप में जीवन जियें। लेकिन मुख्यतः इन लोगों ने उसमें भी जो लोग रजिस्ट्रेशन का काम था जो इन्होंने नियामक ढांचा और राजस्व सृजन में शामिल जो इसमें उपकर अधिनियम, 1996 की धारा (3) के अनुसार निर्माण करने लगे हर नियोजक को जो 10 या अधिक समूह को रोज़गार देता है अपना प्रतिष्ठान पंजीकृत कराना होगा। ये सब जो नियम थे उसके राजस्व स्रोतों में शामिल निर्माण लागत पर एक परसेंट उपकर प्रति कर्मकार पांच पंजीकृत शुल्क प्रति कर्मकार 20 वार्षिक सदस्यता शुल्क मार्च, 2023 तक बोर्ड ने 3579 करोड़ की भारी राशि जमा की पर उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया और मज़दूर पीड़ित थे और खातों में पैसा था। महान धोखा, 'आप' सरकार की असफलताएं। अब आती है चौंकाने वाली बात जो आपको खून खोला देगी। पंजीकरण का सर्कस बोर्ड दावा करता है कि 6.96 लाख कर्मकार पंजीकृत हैं लेकिन केवल 1.98 लाख कर्मकारों का एक पूरा डेटा बेस उपलब्ध करा सका बाकी 05 लाख कर्मकारों का क्या हुआ? क्या उस सिस्टम में भूत थे?

“कहते हैं दर्ज सात लाख नाम
पर दिखे नहीं दस्तावेजों में वो राम
कागजों में बसी मजदूरों की भीड़।
हक की बारी आए तो सब की तस्वीर फीकी पड़ी।
कहीं दो तस्वीरें एक चेहरे को मिली
कहीं बिना चेहरे की फाइलें सजी मिली।
ये कौन सा पंजीकरण का मेला
जहां हर मजदूर बन गया झूठ का खेला।
कहे बोर्ड वाले लाखों मजदूर जोड़ लिए,
जमीनी हकीकत बस गिनती के ही छोड़ दिए।
कागज़ पर बन गई भीड़ बड़ी भारी,
पर फोटो में निकली दो दो की सवारी।
कहीं चेहरा नहीं कहीं चेहरे पे शक।

ये पंजीकरण है या कोई नौटंकी का ढकोसला।

पांच लाख नाम हवा में उठाये गए।

हक के हकदार सिस्टम से भुलाये गए।”

1.19 लाख कर्मकार 2.38 लाख तस्वीरों से जुड़े हुए थे। प्रति कर्मकार एक से ज़्यादा तस्वीर 29 हजार 453 तस्वीर 14.8 परसेंट में या तो कोई चेहरा नहीं था या कई चेहरे थे। डुप्लिकेट पंजीकरण और एक ही चेहरे का कई बार पंजीकरण। क्या यह कल्याण बोर्ड था या कॉमेडी शो था। मतलब इस प्रकार से आप अपने कार्यकर्ताओं को भी उसमें पंजीकरण करा दिया और इसके पास कोई डाटा इन्ट्री प्रोपर भी नहीं थी। ऐसी व्यवस्था भी रही है ऐसी सरकारें हमने देखी नहीं ऐसे बोर्ड काम करते हुए हमने देखे नहीं। पहली बार इस प्रकार का तमाशा दिल्ली में तो देखा है। ग्यारह साल में जो तमाशा इन लोगों ने किया है। केवल दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिले में 97 निजी प्रतिष्ठान जो उपकर जमा कर रहे थे पंजीकृत नहीं थे और वो पैसा जमा कर रहे थे। बोर्ड इतना सो रहा था कि ये ही बता नहीं सका कि कौन उन्हें पैसा दे रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। ऐसा सिस्टम भी डेवलप नहीं किया हुआ था। दिल्ली की पंजीकरण नवीकरण दर अखिल भारतीय औसत 74 परसेंट की तुलना में केवल 7.3 परसेंट थी। इसका मतलब है कि 92.7 परसेंट कर्मकारों ने बोर्ड की अक्षमता के कारण अपने लाभ खो दिए। पैसों की पगडंडी का घपला। ऑडिट में चार वर्षों में जिला रिकार्ड और बोर्ड रिकार्ड के बीच 204.95 करोड़ का चौंकाने वाला अंतर मिला। तालिका 3.2 कोई नहीं जानता यह पैसा कहां गया। यह बस हवा में गायब हो गया। हिसाब किताब में इतना गड़बड़ खर्च का घोटला कुल प्राप्तियों में से केवल 9.53 परसेंट से 11.33 परसेंट ही वास्तविक कल्याण पर खर्च किया गया। बाकी 90 परसेंट कहां गया इसका मालूम ही नहीं है। प्रशासनिक ठाट-बाट में जबकि मजदूर भूखे मर रहे थे। यह सबसे अपमानजनक बात है अध्यक्ष महोदय। मजदूरों के मामले को इस प्रकार से हल्के में लेना और मजदूरों की परवाह ना करना इस सरकार के शासन में या अपने शासन दर्शा पाए हैं कितने संवेदनशील थे गरीब और मजदूरों के प्रति। 2018-19 और 2019-20 के 58 हजार 998 छात्रों के लिए 46.0 करोड़ की शिक्षा सहायता केवल मार्च 2022 में जारी की गई। बच्चों ने अपनी शिक्षा के पैसे के लिए तीन चार साल इंतज़ार किया। कल्याणकारी दावों के लिए 1423 दिन तक की प्रसंस्करण देरी। मृत्यु लाभ अभी भी निर्धारित चार लाख के बजाय

02 लाख, चार लाख देने थे दो लाख ही दिए। बच्चे इंतजार में बैठे रहे। साहिब लोग मिटिन्स में टाइम गंवाते रहे। 4 सालों में एक भी दिन निर्माण स्थल का निरीक्षण नहीं किया गया। मज़दूर असुरक्षित स्थलों मर सकते थे लेकिन बोर्ड कहीं और व्यस्त था। बोर्ड की द्विमासिक दो महीने में एक बार मिलना था लेकिन चार सालों में केवल चार बार मिले। वह कह रहे थे मजदूरों के पैसे पर छुट्टियां बना रहे थे। सामाजिक ऑडिट, मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अक्टूबर 2023 तक कोई सामाजिक ऑडिट नहीं किया गया। साढ़े 5 साल बाद भी। सबसे क्रूर मजाक था दिल्ली के निर्माण कर्मकारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज से इनकार करना। जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इसके बजाय उन्हें अधिकतम 10,000 की मामूली शिक्षा सहायता मिली है। पांच लाख का इलाज मिल सकता था।

(समय की घंटी)

श्री कुलवंत राणा: दस हजार में ही काम चलाना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कुलवंत राणा: प्रशिक्षण का धोखा, चार साल में केवल 2019–20 में 350 कर्मकारों को कौशल प्रशिक्षण मिला और फिर कुछ नहीं। (पैरा 4.2 (5) हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध होने के बावजूद यह आपराधिक लापरवाही हुई। बोर्ड को करना चाहिए **face recognition technique** के साथ उचित डिजिटल डेटा बेस का रखरखाव। कर्मकार सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमित निरीक्षण। दस परसेंट के बजाय कम से कम 80 परसेंट फंड प्रत्यक्ष कल्याण बोर्ड पर खर्च करना था। सभी पंजीकृत कर्मकारों को आयुष्मान भारत कवरेज प्रदान करना था। दिल्ली भर में कौशल विकास केंद्र स्थापित करना था। प्रवासी कर्मकारों के लिए ट्रांजिट आवास और मोबाइल सुविधाएं बढ़ाना। द्विमासिक बैठकें और वार्षिक सामाजिक ऑडिट करना। पारदर्शी वित्तीय मिलान बनाए रखना। अंतिम अपमान प्रशासनिक व्यय पांच परसेंट की कानूनी सीमा को पार कर गया। 7.19 परसेंट से 11.1 परसेंट तक...

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। कुलवंत जी अब इसको। थैंक्यू।

श्री कुलवंत राणा: वे कानून द्वारा अनुमति से अधिक खर्च कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय मुख्य रूप से ये सरकार निश्चित रूप से एक आन्दोलन से निकली हुई पार्टी से सरकार बनी सच कहा कि खाली इनका एकमात्र उद्देश्य दिल्ली को लूटना था। दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए काम करना नहीं था। चाहे उसमें मजदूरों हो चाहे व्यापारियों हो, चाहे मध्य वर्ग का व्यक्ति हो। चाहे झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति हो। किसी भी प्रकार के व्यक्ति प्रति लोग गंभीर नहीं थे वर्ग के प्रति और इन लोगों ने खूब दिल्ली को लूटकर के और

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री कुलवंत राणा : अपने सपनों को सजवाया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती शिखा राय जी।

श्रीमती शिखा राय: धन्यवाद अध्यक्ष जी। लगभग बहुत सारे विषय जो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारे सामने आए हैं, वो हमारे साथियों ने वो बातें रखी हैं। बड़ा ही दुःखदाई है कि इससे पूर्व जो रिपोर्ट्स आईं चाहे हैल्थ के ऊपर या अन्य विषयों पर हमें यह उम्मीद नहीं थी कि कम से कम श्रमिकों को लेकर जो यह सरकार अभी कुलवंत जी रहे थे कि आंदोलन से निकली पार्टी थी तो ऐसा लगता था कम से कम इस वर्ग की चिंता तो इन्होंने कभी की होगी। लेकिन इस रिपोर्ट के माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं, वे बहुत ही गंभीर हैं और एकदम साफ पता चलता है कि यह सरकार बिल्कुल संवेदनहीन थी। हमारे निर्माण श्रमिकों के जो अधिकार और उनके कल्याण के लिए बनाए गए इस बोर्ड के द्वारा जो फंड की उपेक्षा की गई वह इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलती है। अध्यक्ष जी यह वह वर्ग है जो इमारतें बनाता है जो हम सबके सपना पूर्ण करता है लेकिन उन्हीं के सपनों को इस सरकार ने कुचल कर रख दिया। 2023 के अंत तक दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास 3 हजार 579 करोड़ की राशि थी। जो मजदूर के लिए उनकी शिक्षा के लिए चिकित्सा पर घर सुरक्षा और बच्चों के लिए थी। लेकिन पिछले 4 वर्षों में इस राशि का मात्र 9.5 परसेंट खर्च हुआ। 2020-21 में खर्च बढ़ा तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कोविड के दौरान पांच-पांच हजार की चार किस्में मजदूरों को बांटी गई। उस एक साल को हटा दें तो बाकी वर्षों में सरकार ने केवल गरीब श्रमिकों के नाम पर झुनझुना बजाया है। ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि करीब 6.96

लाख मज़दूरों के पंजीकरण थे लेकिन केवल 1 लाख 98 1.98 लाख का डेटा पूर्ण था। एक मज़दूर की दो दो बार फोटो। कहीं चेहरे ही नहीं ये सिस्टम की पूरी नाकामी थी। सरकार कहती थी कि काम हो रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी भी योजनाएं इस श्रमिक वर्ग के लिए इस बोर्ड के माध्यम से होनी थी। घर खरीदने के लिए मदद, औजार खरीदने के लिए मदद, कोई सहायता नहीं, कोई बीमा नहीं, गर्भपात के समय में जो सहायता मिलनी है वो नहीं, योजनाओं पर जो पैसा था इनके पास वो भी इन्होंने खर्च नहीं किया। ये साफ-साफ दर्शाता है कि उनका ध्यान कभी दिल्ली के गरीब श्रमिक वर्ग पर गया ही नहीं। 204.95 करोड़ का अंतर पाया गया cess संग्रहण में, ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि रिकार्ड मेल ही नहीं खाते। 142 करोड़ तो एमसीडी ने जमा ही नहीं किया समय पर। 2020 में जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड के दौरान श्रमिक की मदद के लिए रजिस्ट्रेशन रिनूअल बढ़ाने को कहा तब दिल्ली का रिनूअल रेट सिर्फ 7.3 था जबकि देश का औसत 74 परसेंट था। अध्यक्ष जी ना तो इनके लिए कोई कैम्प लगते ना साईट पर कोई निरीक्षण होता है। और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई सोशल ऑडिट हुआ। केवल और केवल घोषणाएं और शायद इस बोर्ड की योजनाओं के लिए भी बहुत सा पैसा advertisement में खर्च तो किया होगा लेकिन इन श्रमिकों के लिए, इनके बच्चों के लिए, जो इनको स्कॉलरशिप देने थे उसके लिए क्योंकि कोई सही डेटा ही नहीं कोई ऑडिट नहीं कोई उनके लिए नियत नहीं। इसलिए ये जो हाल सीएजी की रिपोर्ट में हमने देखा है ये होना ही था। विपक्ष को इस बात का जवाब देना होगा की इस 3579 करोड़ का हुआ क्या? ये मज़दूरों का पैसा था यह किसी पार्टी की तिजोरी नहीं थी की जैसे चाहते वैसे खर्च करते। तो इन्होंने क्यों नहीं खर्च किया इसके लिए इनका जवाब देना बनता है। पर मैं समझती हूँ क्योंकि रिपोर्ट के जब भी सीएजी की कोई रिपोर्ट पटल पर आती है तो इसी तरह से बहाने बनाकर एक के बाद एक करके ये केवल वहां उस लॉबी में जाते हैं और चाय पीकर के थोड़ी देर के बाद फिर से वापस लौट आते हैं फिर हंगामा करने के लिए। अगर सही मायने में उनको, उनको सक्रियता का उनका भाव विपक्ष का हो तो इस चर्चा में भाग लेना चाहिए। मैं

अनुरोध करती हूं अध्यक्ष जी के आगे भी क्योंकि यह बोर्ड भी बना हुआ है तो इस बोर्ड के माध्यम से सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ जो **concerned** इसके डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ

(समय की घंटी)

श्रीमती शिखा राय : **identify** होना चाहिए **register** होने चाहिए ये श्रमिक और इनके **benefit** के लिए जो योजनाएं बनी हैं उनका लाभ इन तक पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।
माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 08.08.2025 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की गई)।